अध्याय V

गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

5.1 वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने, स्पर्धा बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विविधीकरण में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। कार्य आकार और संयोजन के स्वरूप की दृष्टि से एक समूह के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं अलग स्वरूप की हैं। कार्यनितियों के नवोन्मेषीकरण और प्रभावी तंत्र विकसित करने की लोच के कारण वे बाजार में सफल हुई हैं। विशेष रूप से विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआइ) ने कई देशों, विशेषतः यूरोप और जापान में तेजी से हुए औद्योगिकरण में अहम भूमिका निभाई है, वह भी तब जब वहाँ पूंजी बाजार पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुआ था। बाद की अवधि में अपने विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने के बाद विकास वित्तीय संस्थाओं की कई देशों में या तो पुनर्संरचना की गई या उन्हें पुनर्स्थापित किया गया।

5.2 वाणिज्य बैंकों और सहकारी संस्थाओं (शहरी और ग्रामीण) के अलावा, भारत की वित्तीय प्रणाली में कई प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जैसे कि वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, बैंकेतर वित्तीय कंपनियां, प्राथमिक डीलर और पूंजी बाजार मध्यस्थ कंपनियां जैसे कि पारस्परिक निधियां शामिल हैं। यद्यपि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को सामान्य रूप से एक ही समूह में रखा जाता है, तथापि विभिन्न प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का कार्यस्वरूप एक-दूसरी से अलग-अलग होता है। इस अध्याय में उन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। इनमें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआइएफआई और एफआई), गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफसी) और प्राथमिक डीलर (पीडी) शामिल हैं।

5.3 यद्यपि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने भारत में विकास वित्त मुहैया कराने में प्रमुख भूमिका अदा की है तथापि, सरकार की राजकोषीय अत्यावश्यकताओं और बाजार की विविधताओं के कारण अर्थव्यवस्था में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की भूमिका से संबंधित नीतियों और कार्यनीतियों का पुनर्मूल्यांकन बाध्यकारी हो गया। वित्तीय क्षेत्र में प्रमुख पुनर्संरचना तब हुई जब दो प्रमुख विकास वित्तीय संस्थाएं नामतः, आइसीआइसीआई और आइडीबीआई बैंकों के रूप में संपरिवर्तित हो गईं। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित की गई गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं लीज़ फाइनेंस, किराया खरीद वित्त, प्रतिभूतियों में निवेश, किसी भी तरह के ऋण यथा बिल बट्टाकरण, बीमा, शेयर दलाली, मर्चंट बैंकिंग और आवास वित्त प्रदान करने का कार्य सक्रिय रूप से कर रही हैं। प्राथमिक डीलरों ने सरकारी प्रतिभूति बाजार को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के व्यावसायिक परिचालन और वित्तीय निष्पादन मुख्यतः क्षेत्र विशेष कारकों द्वारा संचालित होते हैं।

5.4 वित्तीय क्षेत्र के लिए वित्तीय बिचौलियों के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के योगदान को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करने का प्रयास किया है ताकि ये संस्थाए स्वयं अपनी एक पहचान बना सकें। कई प्रकार की नीतिगत पहलों से रिज़र्व बैंक ने कई गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया है जबकि कमजोर अस्वस्थ खिलाड़ियों को प्रणाली से बाहर कर दिया है। इस क्षेत्र में सुधार करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं वित्तीय प्रणाली में अपने प्रतिप्रक्षों के साथ स्वस्थ्य तरीके से काम करें और उनकी मौजूदगी से किसी भी तरह के प्रणालीगत जोखिम का कोई खतरा न हो।

5.5 वर्ष 2005-06 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के संबंध में विनियामक उपायों के अंतर्गत मुख्यतः आस्तियों के प्रावधानीकरण, मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण और छोटे मझौले उद्यमों के लिए एक बारगी निपटान योजना को लागू करने संबंधी विवेकपूर्ण दिशा निदेशों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष 2005-06 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के परिचालनों में विस्तार हुआ जबकि आस्ति संविभाग में निवेश के बजाए ऋणों और अग्रिमों को तरजीह दी गई। निवल ब्याज आय और ब्याजेतर आय में तेजी से हुई वृद्धि के फलस्वरूप वित्तीय संस्थाओं को अधिक लाभ हुआ। वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात, सामान्यतया, न्यूनतम निर्धारित स्तर के काफी अधिक बना रहा।

5.6 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में विनियामक उपायों में रिपोर्टिंग व्यवस्था की व्याप्ति का विस्तार, क्रेडिट कार्ड परिचालनों के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता, बैंकों के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का समामेलन/विलय, मानक आस्तियों का प्रतभूतीकरण, शेष गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा निदेशित निवेशों में वृद्धि और नियंत्रण / प्रबंधन में परिवर्तन के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष 2005-06 के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के व्यवसाय में थोड़ी कमी आई। वर्ष के दौरान व्यय में तेजी से हुई वृद्धि के कारण गैंर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लाभप्रदता में तीव्र कमी आई।तथापि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। यद्यपि, 30 प्रतिशत से अधिक जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) वाली गैर बैंकिंग वित्तीय

कंपनियों के अनुपात में वृद्धि हुई, तथापि वर्ष के दौरान 12 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाली कंपनियों के अनुपात में कमी आई।

5.7 राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल 2006 से रिज़र्व बैंक को केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में भाग लेने से मना किया गया है। फलस्वरूप, प्राथमिक निर्गमों का पूर्ण अभिदान सुनिश्चित करने की जवाबदारी प्राथमिक डीलरों पर आ पड़ी है। सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेनों में बृहत कुशलता, पारदर्शिता और लचीलापन प्रदान करने और प्राथमिक डीलर प्रणाली को मजबूत बनाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2005-06 के दौरान कई उपाय किए हैं। बैंकों को विभागीय स्तर पर पीडी व्यवसाय करने की अनुमति दी गई है। प्राथमिक डीलरों के लिए बोली प्रतिबद्धता को अधिदेशात्मक हामीदारी प्रतिबद्धता की सहायता से और मजबूत किया गया। वर्ष 2005-06 के दौरान प्राथमिक डीलरों की अर्जित आय में तीव्र वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक डीलर काफी मात्रा में शुद्ध लाभ कमा सके। लाभ अर्जित करने वाले प्राथमिक डीलरों की संख्या पिछले वर्ष के 10 से बढ़कर 2005-06 में 14 हो गई। प्राथमिक डीलरों का सीआरएआर कुल जोखिम भारित आस्तियों के 15 प्रतिशत के न्यूनतम निर्धारण से काफी अधिक था।

5.8 इस पृष्ठभूमि में, वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और प्राथमिक डीलरों की नीतिगत गतिविधियों, व्यावससायिक परिचालनों और वित्तीय निष्पादन का वर्णन इस अध्याय के क्रमशः भाग 2, 3 और 4 में किया गया है।

2. वित्तीय संस्थाएं

5.9 वित्तीय संस्थाओं की उत्पत्ति राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाबद्ध आर्थिक विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उस समय हुई जब पूंजी बाजार अपेक्षाकृत अविकसित थे और वे अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता नहीं रखते थे। इन वर्षों मे, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मध्यावधि और दीर्घावधि वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं की एक विशाल किस्म अस्तित्व में आई। जबकि उनमें से अधिकांश प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करती हैं तो कुछ अन्य केवल पुनर्वित्त प्रदान करती हैं। उनके द्वारा किए जा रहे प्रमुख कार्यकलापों के आधार पर, सभी भारतीय वितीय संस्थाओं को (i) मीयादी उधारदात्री संस्थाओं (आइएफसीएल लि., आइआइबीआई लि., एक्जिम बैंक और टीएफसी आई), जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को दीर्घावधि वित्त प्रदान करती हैं; (ii) पुनर्वित्त संस्थाएं [राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)] जो बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय बिचौलियों को पुनर्वित प्रदान करते हैं ताकि वे आगे क्रमश: कृषि, लघु उद्योगों (एसएसआई) और गृह निर्माण क्षेत्र को ऋण प्रदान कर सकें और (iii) निवेश संस्थाएं (एलआइसी), जो अपनी आस्तियों को भारी मात्रा में बेचनीय प्रतिभूतियों में लगाती हैं; में वर्गीकृत किया जा सकता है। राज्य / क्षेत्रीय स्तर की संस्थाएं एक अलग समूह की होती हैं जिसमें राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी), राज्य औद्योगिक और विकास निगम (एसआइडीसी) और पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (एनइडीएफआई) लि. शामिल हैं। इनमें से कुछ वित्तीय संस्थाओं को भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धार 4 क के अंतर्गत सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के रूप में अधिसूचित किया है।

5.10 मार्च 2006 के अंत में चार वित्तीय संस्थाएं नामतः, नाबार्ड, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक और एक्ज़िम बैंक, रिज़र्व बैंक के संपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत आ गए थे। तथापि, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं करती हैं लेकिन उनके पास 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की आस्तियां हैं, रिज़र्व बैंक के केवल सीमित ऑफ-साइट पर्यवेक्षण के अधीन हैं। इसके अलावा, नाबार्ड, सिडबी और राष्ट्रीय आवास बैंक अलग-अलग मात्रा में वित्तीय बिचौलियों के विनियमन और / या पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक के विनियामक / पर्यवेक्षी क्षेत्र में आवास वित्त कंपनियां शामिल हैं, राज्य वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों का पर्यवेक्षण सिडबी करता है और नाबार्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करता है। तथापि, इस भाग में विश्लेषण का केन्द्र उन सात संस्थाओं तक सीमित है जो वर्तमान में रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं। इनमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आइएफसीआई), भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि. (आइआइबीआई), एक्ज़िम बैंक, भारतीय पर्यटन वित्त निगम (टीएफसीआई), सिडबी, नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक शामिल हैं।

वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियामक पहलें

5.11 अंतरराष्ट्रीय उत्तम प्रथाओं को अपनाने और वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियामक मानदंडों को बैंकिंग क्षेत्र के लिए लागू मानदंडों के अनुरूप बनाना सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान कई विनियामक उपाय किए गए।

5.12 वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार बैंकों के मामले में मानक अग्रिमों के लिए सामान्य प्रावधान की अपेक्षाओं को नवंबर 2005 में 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.40 प्रतिशत कर दिया गया। इसके फलस्वरूप, दिसंबर 2005 में यह घोषणा की गई कि कृषि और छोटे और मझौले उद्यम (एसएमई) क्षेत्रों को छोड़कर वित्तीय संस्थाओं की मानक आस्तियों के लिए संविभाग आधार पर बकाया राशियों के 0.40 प्रतिशत की एक समान प्रावधानीकरण अपेक्षाएं लागू होंगी।

5.13 एसएमई खातों के लिए 10 करोड़ रुपए से कम एनपीए की वसूली के लिए एकबारगी निपटान योजना के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र

के बैंकों को जारी किए गए दिशा-निदेशों को नवंबर 2005 में वित्तीय संस्थाओं के लिए भी लागू कर दिया गया। आशोधित दिशा-निदेशों में एसएमई क्षेत्र की उन सभी अनर्जक आस्तियों को शामिल किया गया है जिन्हें 31 मार्च 2004 को 'संदिग्ध' या 'हानि' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वे एनपीए भी जिन्हें 31 मार्च 2004 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया गया जो बाद में, जिस तारीख को खाते को 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया, उस तारीख को बकाया शेष 10 करोड़ रुपए और उससे कम हो जाने के कारण 'संदिग्ध' या 'हानि' वाले खाते हो गए हैं। इसके अलावा, ऐसे मामलों को भी जहाँ बैंकों ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएइएसआई), 2002 के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ कर दी है, इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तथापि, जानबूझ कर चूक करने वाले, धोखाघड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों को शामिल नहीं किया गया है। एक बारगी निपटान के संबंध में वसूली जाने वाली न्यूनतम राशि 31 मार्च 2004 को 'संदिग्ध' या 'हानि' के रूप में वर्गीकृत किए गए एनपीए के मामले में खाते में बकाया शेष राशि का 100 प्रतिशत है।

5.14 बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (आरएनबीसी सहित) के साथ-साथ वित्तीय संस्थाओं के लिए मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के बारे में दिशा निदेश फरवरी 2006 में जारी किए गए। दिशा निदेशों में मुख्यतः वास्तविक बिक्री से संबंधित परिभाषाओं और मानदंडों, विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) द्वारा पूरे किए जाने वाले मानदंड, प्रमुख विशेषताएं जिनमें अभ्यावेदन और वारंटियां तथा एसपीवी से आस्तियों की पुनर्खरीद शामिल है, ऋण में वृद्धि के प्रावधान की नीति, चलनिधि और हामीदारी की सुविधाएं, सेवाओं के प्रावधान की नीति, एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों और प्रतिपूर्तीकरण संबंधी लेन देनों के लेखाकरण की व्यवस्था शामिल है।

5.15 निम्नलिखित बातों के संदर्भ में दिसंबर 2005 में पुनर्वित्त संस्थाओं की भावी भूमिका पर एक आंतरिक कार्यकारी दल (संयोजकः श्री पी. विजय भाष्कर) का गठन किया गया; (i) जिस उद्देश्य के लिए पुनर्वित्त संस्थाओं की स्थापना की गई थी उसके परिप्रेक्ष्य में उनके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना; (ii) वित्तीय क्षेत्र में हो रहे विकासों के वर्तमान संदर्भ में उनके उद्देश्यों के औचित्य की जांच करना; (iii) ऊपर (ii) के परिप्रेक्ष्य में उनकी भावी भूमिका के बारे में सुझाव देना; (iv) अधिशेष निधियों के अभिनियोजन के पर्यायी अवसरों की संभावनाओं का पता लगाना; (v) पुनर्वित्त संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाने के साधनों का मूल्यांकन करना; और (vi) भारतीय बंधक गारंटी कंपनी (आइएमजीसी) सहित बंधक ऋण गारंटी कंपनियों से संबंधित मुद्दों की जांच करना। दल की रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

वित्तीय संस्थाओं के कार्य

5.16 वर्ष 2005-06 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और वितरित की गई वित्तीय सहायता में तीव्र वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इसके विपरित तेजी से कमी आई थी। इस वृद्धि में मुख्यतः अखिल भारतीय मीयादी ऋण दात्री संस्थाओं (सिडबी) और निवेश संस्थाओं (एलआइसी) (सारणी V.1 और परिशिष्ट सारणी V.1) का योगदान था। यद्यपि, आइएफसीआई ने कोई नई वित्तीय सहायता मंजूर नहीं की थी, तथापि, उसके द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान वितरित की गई राशि में 104.9 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई।

सारणी V.1: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मद	राशि				प्रतिशत अंतर			
	2004-05		2005-06		2004-05		2005-06	
	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) अखिल भारतीय मीयादी उधार दाता संस्थाए *	9,091	6,279	11,942	9,237	-24.6	-9.6	31.4	47.1
ii) विशिष्टता प्राप्त वित्तीय संस्थाएं#	111	72	132	86	-74.8	-81.8	18.9	19.4
iii) निवेश संस्थाएं @	10,404	8,972	15,165	11,200	-55.2	-47.2	45.8	24.8
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (i से iii)	**19,606**	**15,323**	**27,239**	**20,522**	**-45.1**	**-37.0**	**38.9**	**33.9**

* : आइएफसीआइ, सिडबी, आइआइबीआइ और आइडीएफसी से संबंधित।
\# : आइवीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर और टीएफसीआइ से संबंधित।
@ : एलआइसी और जीआइसी से संबंधित। 2004-05 के आंकड़े केवल एलआइसी से संबंधित है ।
टिप्पणी : सभी आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

चार्ट V.1: एआइएफआइ द्वारा मंजूर और संवितरित वित्तीय सहायता

5.17 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और वितरित की गई वित्तीय सहायता जिसमें 2000-01 और 2002-03 में तीव्र गिरावट आई थी, उसमें बाद में स्थिर प्रवृत्ति देखी गई। हाल के वर्षों में मंजूर की गई और वितरित की गई राशि का अंतर काफी कम हुआ है (चार्ट V.1)।

वित्तीय संस्थाओं की आस्तियां और देयताएं

5.18 वर्ष 2005-06 के दौरान वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों/देयताओं में कमोबेश समान दर से विस्तार हुआ। देयताओं की तरफ, बांडों और डिबेंचरों के जरिए जुटाए गए संसाधनों में वर्ष 2005-06 के दोरान तेजी से वृद्धि हुई। आस्तियों की तरफ, ऋण और अग्रिम संविभाग में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा की गई तीव्र ऋण वृद्धि के साथ-साथ, तेजी से बढ़ोतरी हुई। बैंकों की ही तरह, वित्तीय संस्थाओं ने भी ऋण संविभाग की तीव्र वृद्धि को पूरा करने के लिए अपने निवेश संविभाग को भारी मात्रा में कम कर दिया (सारणी V.2)।

सारणी V.2: वित्तीय संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मद	राशि		प्रतिशत अंतर	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
देयताएं (1 से 6)				
1. पूंजी *	5,331 (4.0)	5,431 (3.7)	3.3	1.9
2. आरक्षित *	14,074 (10.5)	15,211 (10.5)	10.8	8.1
3. बांड और डिबेंचर	60,150 (44.7)	67,145 (46.2)	20.3	11.6
4. जमा	13,355 (9.9)	14,520 (10.0)	-24.0	8.7
5. उधार	17,421 (13.0)	18,950 (13.0)	25.4	8.8
6. अन्य देयताएं	24,105 (17.9)	24,217 (16.6)	1.9	0.5
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,34,436 (100.0)**	**1,45,474 (100.0)**	**9.8**	**8.2**
आस्तियां (1 से 6)				
1. नकदी एवं बैंक शेष	16,490 (12.3)	9,915 (6.8)	39.9	-39.9
2. निवेश	13,617 (10.1)	10,423 (7.2)	0.6	-23.5
3. ऋण और अग्रिम	91,874 (68.3)	1,11,441 (76.6)	8.0	21.3
4. भुनाए गए / पुनः भुनाए गए बिल	1,048 (0.8)	1,810 (1.2)	-14.0	72.7
5. अचल आस्तियां	1,145 (0.9)	1,088 (0.7)	-1.8	-5.0
6. अन्य आस्तियां	10,262 (7.6)	10,797 (7.4)	7.0	5.2

* : आइएफसीआइ तथा आइआइबीआइ की संचित हानि को ध्यान में लिए बिना।

टिप्पणी : 1. आंकडें आइएफसीआइ, टीएफसीआइ, आइडीएफसी, आइआइबीआइ, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी से संबंधित है।
2. कोष्ठकों के आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों से संबंधित हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्र।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन

5.19 वर्ष 2005-06 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने रुपया और विदेशी मुद्रा में संसाधन जुटाए। रुपया संसाधनों में दीर्घावधि और अल्पावधि दोनों शामिल हैं। दीर्घावधि रुपया संसाधनों में जबकि बांडों और डिबेंचरों के ज़रिए ली गई उधार राशियां शामिल है, अल्पावधि संसाधनों में वाणिज्यिक पेपर (सीपी) मीयादी जमाराशियां, अंतर-कंपनी जमाराशियां, (आइसीडी), जमाराशि प्रमाणपत्र (सीडी) और मीयादी मुद्रा बाजार से लिए गए उधार शामिल हैं। विदेशी मुद्रा संसाधनों में मुख्यतः बांड और उधार राशियां शामिल हैं।

5.20 वर्ष 2005-06 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन वर्ष 2004-05 के दौरान जुटाए गए संसाधनों से थोड़ा कम थे। जबकि अल्पावधि रुपया संसाधनों में कमी आई, दीर्घावधि रुपया संसाधनों में थोड़ी वृद्धि हुई।विदेशी मुद्रा में जुटाए गए संसाधनों में भारी वृद्धि हुई। नाबार्ड ने सबसे अधिक संसाधन जुटाए। उसके बाद एक्ज़िम बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और सिडबी का स्थान था (सारणी V.3 और परिशिष्ट सारणी V.2)। आइएफसीआई और आइआइबीआई अपने कमजोर वित्तीय निष्पादन के कारण नए संसाधन नहीं जुटा पाए।

5.21 वर्ष 2005-06 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधनों में कमी आई। वित्तीय संस्थाओं ने पिछले वर्ष के 25.7 प्रतिशत की तुलना में मुद्रा बाजार से संसाधन जुटाने के लिए स्वीकृत कुल संरक्षण सीमा के 13.1 प्रतिशत का ही उपयोग किया (सारणी V.4)।

5.22 रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण दीर्घावधि परिचालन निधि (एनआइसी-एलटीओ) में से औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को ऋण देने की प्रथा को वर्ष 1992-93 के केन्द्रीय बजट में की गई इस आशय की घोषणा के बाद बंद कर दिया गया। तदनुसार, वर्ष 1992-93 से रिज़र्व बैंक इस निधि में केवल नाममात्र अंशदान कर रहा है। जून 2006 के अंत में एनआइसी-एलटीओ निधि के अंतर्गत किसी भी संस्था द्वारा लिया गया उधार बकाया नहीं था। जून 2006 के अंत में राष्ट्रीय आवास ऋण (एनएचसी-एलटीओ) निधि के अंतर्गत एनएचबी का बकाया ऋण 50 करोड़ रुपए था।

सारणी V.4: वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए)

लिखत	2004-05	2005-06
1	2	3
क. कुल (i to v)	**3,339**	**1,977**
i) सावधि जमाराशि	705	44
ii) सावधि मुद्रा	175	–
iii) अंतर कंपनी जमाराशि	477	–
iv) जमा प्रमाणपत्र	233	2
v) वाणिज्यिक पत्र	1,749	1,931
ज्ञापन:		
ख) संरक्षण सीमा	**13,001**	**15,157**
ग) संरक्षण सीमा का उपयोग (क के रूप में ख का प्रतिशत)	**25.7**	**13.1**

– : शून्य/नगण्य।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्र।

निधियों के स्रोत और उपयोग

5.23 वर्ष 2005-06 में वित्तीय संस्थाओं की निधियों के कुल स्रोत / अभिनियोजन बढ़ कर 1,00,456 करोड़ रुपए हो गए जो

सारणी V.3: वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए)

संस्था	जुटाए गए संसाधन								कुल बकाया मार्च के अंत में	
	दीर्घावधि		अल्पावधि		विदेशी मुद्रा		कुल			
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आइआइबीआइ	–	–	–	–	–	–	–	–	2,008	1,576
2. आइएफसीआइ	–	–	–	–	–	–	–	–	15,025	13,678
3. टीएफसीआइ	23	71	–	–	–	–	23	71	429	390
4. एग्ज़िम बैंक	1,480	3,260	1,632	1,124	2,189	2,814	5,301	7,198	11,771	15,836
5. सिडबी	1,607	2,610	799	420	28	459	2,434	3,489	9,346	11,030
6. नाबार्ड	10,642	8,195	–	–	–	–	10,642	8,194	26,429	27,303
7. एनएचबी	2,419	2,631	1,063	199	–	–	3,482	2,830	12,395	14,365
कुल (1 to 7)	**16,171**	**16,767**	**3,494**	**1,743**	**2,217**	**3,273**	**21,882**	**21,782**	**77,403**	**84,178**

– : शून्य/ नगण्य।

टिप्पणी : दीर्घावधि संसाधनों में बांडों/ डिबेंचरों के उधार शामिल हैं, अल्पावधि संसाधनों में वाणिज्यिक पत्र, सावधि जमा, अंतर-कंपनी जमा, जमा प्रमाणपत्र और सावधि मुद्रा शामिल है। विदेशी मुद्रा संसाधनों में मुख्यत: बांड तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार से लिए गए उधार शामिल हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से, वित्तीय संस्थाओं द्वारा 63.3 प्रतिशत निधियां आंतरिक स्रोतों से और 33.3 प्रतिशत बाहरी स्रोतों से जुटाई गईं। जुटाई गई निधियों के एक बड़े हिस्से (71.9 प्रतिशत) का उपयोग नए अभिनियोजनों के लिए किया गया जो पिछले उधारों की चुकौती में कमी के कारण संभव हो सका। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान में थोड़ी कमी आई (सारणी V.5 और परिशिष्ट सारणी V.3)।

उधारियों की लागत और परिपक्वता

5.24 वर्ष के दौरान पुनर्वित्त संस्थाओं (सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी) के दीर्घावधि संसाधनों की भारित औसत लागत में कमी आई। राष्ट्रीय आवास बैंक की भारित औसत लागत में कमी आने का कारण संभवतः उसके संसाधनों की परिपक्वता प्रोफाइल को कम करना था। एक्ज़िम बैंक की उधारी की भारित औसत परिपक्वता को कम करने के बावजूद उसकी भारित औसत लागत में थोड़ी सी वृद्धि हुई (सारणी V.6 और परिशिष्ट सारणी V.4)।

सारणी V.5: वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोत का स्वरूप और विनियोजन *

(राशि करोड़ रुपए)

निधियों का स्रोत/ विनियोजन	2004-05	2005-06	प्रतिशत अंतर	
			2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क) निधियों का स्रोत (i to iii)	**85,237 (100.0)**	**1,00,456 (100.0)**	**16.3**	**17.9**
(i) आंतरिक	53,543 (62.8)	63,557 (63.3)	13.3	18.7
(ii) बाह्य	28,925 (33.9)	33,475 (33.3)	22.4	15.7
(iii) अन्य@	2,768 (3.2)	3,424 (3.4)	15.0	23.7
ख) निधियों का विनियोजन (i to iii)	**85,238 (100.0)**	**1,00,456 (100.0)**	**16.3**	**17.9**
(i) नए विनियोजन	53,291 (62.5)	72,273 (71.9)	21.6	35.6
(ii) पिछले उधारों की चुकौती	20,019 (23.5)	14,402 (14.3)	18.9	-28.1
(iii) अन्य विनियोजन	11,928 (14.0)	13,781 (13.7)	-5.4	15.5
जिसमें से :				
ब्याज भुगतान	4,597 (5.4)	4,502 (4.5)	-18.1	-2.1

* : आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, आइडीएफसी, टीएफसीआइ, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एग्ज़िम बैंक।

@ : बैंक की नकदी तथा शेष (उपलब्ध नकदी), भा.रि.बैंक एवं अन्य बैंकों के शेष सहित।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी V.6: दीर्घावधि रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता

संस्था	भारित औसत लागत (प्रतिशत)		वर्ष में भारित औसत परिपक्वता	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
आइआइबीआइ	–	–	–	–
आइएफसीआइ	–	–	–	–
टीएफसीआइ	10.4	–	4.9	–
एग्ज़िम बैंक	6.9	7.0	5.1	4.7
सिडबी	6.3	4.5	7.0	7.0
नाबार्ड	6.6	5.8	2.0	2.1
एनएचबी	6.5	5.9	2.8	2.2

– : शून्य/ नगण्य।

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

उधार देने की ब्याज दर

5.25 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपनी सभी मूल ब्याज दरों को बढ़ाया जबकि सिडबी और आइएफसीआई ने अपनी मूल ब्याज दरों को पिछले वर्ष के स्तर पर बनाए रखा (सारणी V.7)।

वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन

5.26 चयनित आल इंडिया वित्तीय संस्थाओं की निवल ब्याज आय वर्ष 2004-05 की 2,125 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 2,555 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं की ब्याजेतर आय में भी भारी वृद्धि हुई। इन दो कारकों ने

सारणी V.7: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की उधार दर संरचना

(प्रतिशत वार्षिक)

से प्रभावी	पीएलआर	आइएफसीआइ	सिडबी	एनएचबी@
1	2	3	4	5
मार्च 2004	दीर्घावधि पीएलआर	12.5	11.5	6.7-6.5
	मध्यावधि पीएलआर	–	–	6.5
	अल्पावधि पीएलआर	12.5	10.0	6.4
जुलाई 2004	दीर्घावधि पीएलआर	12.5	11.5	6.5-6.7
	मध्यावधि पीएलआर	–	–	6.3
	अल्पावधि पीएलआर	12.5	10.0	6.0
मार्च 2005	दीर्घावधि पीएलआर	12.5	11.5	7.3
	मध्यावधि पीएलआर	–	–	6.8
	अल्पावधि पीएलआर	12.5	10.0	6.5
मार्च 2006	दीर्घावधि पीएलआर	12.5	11.5	7.5
	मध्यावधि पीएलआर	–	–	7.2
	अल्पावधि पीएलआर	12.5	10.0	7.0

– : शून्य/ नगण्य।

@ : निर्धारित दर से संबंधित।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

परिचालनगत व्यय की प्रतिपूर्ति में बहुत योगदान किया जिसके फलस्वरूप परिचालन लाभ में भारी वृद्धि हुई। प्रावधानों में कोई विशेष परिवर्तन किए बिना, निवल लाभ में परिचालन लाभ में कमोबेश वृद्धि परिलक्षित हुई (सारणी V.8)।

5.27 वर्ष 2005-06 के दौरान औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की ब्याज और ब्याजेतर दोनों आय में गिरावट आई। वर्ष 2005-06 के दौरान औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में, आइएफसीआई सहित अधिकांश वित्तीय संस्थाओं के परिचालनगत लाभ में वृद्धि हुई। औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में, आइएफसीआई का परिचालनगत लाभ सबसे अधिक था। उसके बाद टीएफसीआई और सिडबी का स्थान था। आइआइबीआई को परिचालनगत हानियां होती रहीं हालांकि वे पिछले वर्ष से कम थीं। राष्ट्रीय आवास ऋण और सिडबी की आस्ति के प्रतिफल के अनुपात में थोड़ा सुधार हुआ (सारीण V.9)। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक और एक्ज़िम बैंक की प्रति कर्मचारी निवल आय में वृद्धि हुई। वर्ष 2005-06 में एक्ज़िम बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक की प्रति कर्मचारी निवल आय 1 करोड़ रुपए से अधिक थी।

सुदृढ़ता के संकेतक

आस्ति गुणवत्ता

5.28 वर्ष 2005-06 के दौरान सभी वित्तीय संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता में संपूर्णता और निवल ऋण दोनों के संदर्भ में उल्लेखनीय सुधार हुआ। आइएफसीआई आइआइबीआई और टीएफसीआई के निवल एनपीए में तीव्र कमी आई जिससे प्राप्य राशियों की वसूली और प्रावधानीकरण में वृद्धि का संयुक्त प्रभाव दिखाई देता है। मार्च 2006 के अंत में नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक के पास कोई एनपीए नहीं थे जबकि एक्ज़िम बैंक और सिडबी के एनपीए क्रमशः एक और दो प्रतिशत से कम थे (सारणी V.10)।

सारणी V.8: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय कार्य निष्पादन*

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2004-05	2005-06	अंतर	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क) आय (क + ख)	**8,722**	**9,599**	**877**	**10.1**
क) ब्याज आय	7,588	8,246	658	8.7
	(87.0)	(85.9)		
ख) ब्याजेतर आय	1,134	1,353	219	19.3
	(13.0)	(14.1)		
ख) व्यय (क + ख)	**7,118**	**7,606**	**488**	**6.9**
क) ब्याज व्यय	5,463	5,691	228	4.2
	(76.7)	(74.8)		
ख) परिचालन व्यय	1,655	1,915	260	15.7
	(23.3)	(25.2)		
जिसमें से : मजदूरी बिल	379	372	-7	-1.8
ग) कराधान के लिए प्रावधान	**507**	**591**	**84**	**16.6**
घ) लाभ				
i) परिचालन लाभ (पीबीटी)	1,604	1,993	389	24.3
ii) निवल लाभ (पीएटी)	1,097	1,402	305	27.8
ङ) वित्तीय अनुपात@				
i) परिचालन लाभ (पीबीटी)	1.2	1.4		
ii) निवल लाभ (पीएटी)	0.8	1.0		
iii) आय	6.5	6.6		
iv) ब्याज आय	5.6	5.7		
v) अन्य आय	0.8	0.9		
vi) व्यय	5.3	5.2		
vii) ब्याज व्यय	4.1	3.9		
viii) अन्य परिचालन व्यय	1.2	1.3		
ix) मजदूरी बिल	0.3	0.3		
x) प्रावधान	0.4	0.4		
xi) स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	1.6	1.8		

– : शून्य / नगण्य
@ : कुल अस्तियों के प्रतिशत के रूप में।
* : आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, टीएफसीआइ, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एग्ज़िम बैंक।
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत हिस्सा हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं तुलनपत्र।

सारणी V. 9: वित्तीय संस्थाओं के चुनिंदा वित्तीय मानदंड

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	ब्याज आय/औसत कार्यशील निधि		ब्याजेतर आय/औसत कार्यशील निधि		परिचालन लाभ/औसत कार्यशील निधि		औसत आस्ति पर प्रतिलाभ		प्रति कर्मचारी निवल लाभ (करोड़ रुपए)	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आइएफसीआइ	7.4	11.3	1.5	2.3	1.8	6.7	-2.2	-0.6	-0.6	-0.2
आइआइबीआइ	11.1	11.0	7.5	8.4	-7.6	-1.4	..	..	-0.8	-0.1
टीएफसीआइ	11.4	10.2	0.2	0.2	3.6	4.0	2.0	1.9	0.4	0.4
एग्ज़िम बैंक	6.1	7.6	0.5	0.6	2.0	2.1	1.5	1.5	1.3	1.4
नाबार्ड	6.9	6.3	–	-0.1	3.2	2.1	1.8	1.8	0.2	0.2
एनएचबी*	6.7	6.2	0.4	0.2	0.5	1.1	0.3	0.5	0.5	1.1
सिडबी	5.9	6.2	0.6	0.2	3.0	3.4	1.7	2.0	0.3	0.3

– : शून्य/ नगण्य। .. : उपलब्ध नहीं। * : जून के अंत की स्थिति।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्र।

सारणी V.10: निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए)

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

संस्था	निवल एनपीए		निवल एनपीए/निवल ऋण (प्रतिशत)	
	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5
आइएफसीआइ	2,688	667	28.0	9.1
आइआइबीआइ	405	132	27.3	13.1
टीएफसीआई	68	15	11.0	3.0
एग्ज़िम बैंक	109	105	0.9	0.6
नाबार्ड	1	–	–	–
एनएचबी *	–	–	–	–
सिडबी	407	261	3.9	1.9

– : शून्य/ नगण्य।
* : जून के अंत की स्थिति।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्र।

5.29 आस्ति गुणवत्ता में सुधार आस्ति वर्गीकरण की विभिन्न श्रेणियों में भी देखा गया। यह बात उल्लेखनीय है कि मार्च 2006 के अंत में, किसी भी वित्तीय संस्था का कोई भी एनपीए 'हानि' वाली आस्ति की श्रेणी में नहीं था (सारणी V.11)।

पूंजी पर्याप्तता

5.30 वर्ष के दौरान, इसके बावजूद कि टीएफसीआई को छोड़कर लगभग सभी वित्तीय संस्थाओं के पूंजी पर्याप्तता अनुपात में, उनके ऋण और अग्रिम संविभाग में भारी मात्रा में वृद्धि हो जाने के कारण गिरावट आ जाने के बावजूद दो हानि में चल रही संस्थाओं (आइएफसीआई और आईआईबीआई) को छोड़कर वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम निर्धारित मानदंडों से काफी अधिक बना रहा (सारणी V.12)। वर्ष के दौरान आइआइबीआई और आइएफसीआई के सीआरएआर में वित्तीय हानियों के कारण और अधिक गिरावट आई।

सारणी V.11: वित्तीय संस्थाओं का आस्ति वर्गीकरण

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था	मानक अस्तियां		अवमानक अस्तियां		संदिग्ध अस्तियां		हानि अस्तियां	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आइएफसीआइ	6,909	6,635	205	54	2,483	613	–	–
आइआइबीआइ	1,079	874	23	14	382	118	–	–
टीएफसीआई	531	546	4	–	64	15	–	–
एग्ज़िम बैंक	12,714	17,692	47	105	62	–	–	–
नाबार्ड	48,354	58,088	–	–	1	–	–	–
एनएचबी*	10,812	16,241	–	–	–	–	–	–
सिडबी	9,845	13,001	8	1	399	260	51	–

– : शून्य/ नगण्य।
* : जून के अंत की स्थिति ।
स्रोत : संबंधित संस्थाओं के तुलनपत्र ।

सारणी V.12: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात*

(प्रतिशत)

संस्था	मार्च के अंत में						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8
आइएफसीआइ	8.8	6.2	3.1	1.0	-17.0	-23.4	-27.9
आइआइबीआइ	9.7	13.9	9.2	-11.0	-20.1	-41.1	-64.2
टीएफसीआई	16.2	18.6	18.5	19.8	22.8	27.4	34.9
एग्ज़िम बैंक	24.4	23.8	33.1	26.9	23.5	21.6	18.4
नाबार्ड	44.4	38.5	36.9	39.1	39.4	38.8	34.4
एनएचबी@	16.5	16.8	22.1	27.9	30.5	22.5	22.3
सिडबी	27.8	28.1	45.0	44.0	51.6	50.7	43.2

* : प्रावधानीकरण और बट्टा का निवल।
@ : जून के अंत की स्थिति ।
स्रोत : संबंधित संस्थाओं के तुलनपत्र।

3. गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

5.31 विभिन्न स्वरूप की होने के बावजूद, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मौटे तौर पर निम्नलिखित चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे उपकरण लीज़िंग, किराया खरीद, ऋण कंपनियां और निवेश कंपनियां। शेष गैर बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) के नाम से जानी जानेवाली, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की एक अलग श्रेणी इसलिए मौजूद है क्योंकि उसे उक्त चार श्रेणियों में से किसी में भी वर्गीकृत नहीं किया जा सका। इसके अलावा, विविध गैर बैंकिंग कंपनियां (चिट फंड), पारस्परिक लाभवाली वित्त कंपनियां (निधियां और गैर अधिसूचित निधियां) और आवास वित्त कंपनियां भी मौजूद हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि निधि कंपनियां चूंकि कंपनी कार्य मंत्रालय के विनियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, इसलिए वे रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं की जाती हैं, जबकि चिट कंपनियां यद्यपि, उनके द्वारा जमाराशियां स्वीकारने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विविध गैर बैंकिंग कंपनी (एमएनबीसी) (रिज़र्व बैंक) निदेश 1977 द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, तथापि, वे संबंधित राज्य के चिट रजिस्ट्रार द्वारा विनियमित की जाती हैं। इसके अलावा, ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जो जनता से जामराशियां स्वीकार नहीं करती हैं, 27 दिसंबर 2005 से रिज़र्व बैंक को विवरणियाँ प्रस्तुत करने से छूट दी गई है।

5.32 इस भाग में रिज़र्व बैंक के विनियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नीतिगत विकास और परिचालनों पर प्रकाश डाला गया है। तथापि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और शेष गैर बैंकिंग कंपनियों के अलग-अलग स्वरूप को देखते हुए उनके परिचालनों पर अलग-अलग तरीके से कार्रवाई की जाती है। उसके अलावा, ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जो जनता से जमाराशि स्वीकार नहीं करती हैं लेकिन उनकी आस्तियां 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की हैं, के परिचालनों को प्रणालीगत जटिलताओं के मद्देनजर अलग से विश्लेषित किया गया है।

विनियामक और पर्यवेक्षी पहल

5.33 भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय III ख में परिभाषित किए गए अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने अपने अधिकार क्षेत्र में आनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए दिशा-निदेशों का एक संच जारी किया है। सुदृढ़ रूप से उनका विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2005-06 के दौरान रिज़र्व बैंक ने कई नीतिगत उपाय लागू किए हैं।

जनता से जमाराशियां स्वीकार न करने वाली / धारित न करनेवाली बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली

5.34 जनता से जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली / न रखनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी) के कार्यकलापों की निगरानी के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की आस्तियां वाली कंपनियों के संबंध में तिमाही आधार पर सूचना देने की एक रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की गई। ऐसी एनबीएफसी-एनडी के लिए निर्धारित प्रारूप में सूचना देने की रिपोर्टिंग प्रणाली सितंबर 2004 के आरंभ में शुरु की गई। इस व्यवस्था की समीक्षा की गई और यह महसूस किया गया कि एक तिमाही की अंतःस्थ अवधि सूचना देकर समय पर निर्णय लेने के लिए काफी लंबी है। अतः सितंबर 2005 से विवरणियां प्रस्तुत करने की अवधि को तिमाही से बदल कर मासिक कर दिया गया। उसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शामिल करने के उद्देश्य से सितंबर 2005 से इस रिपोर्टिंग प्रणाली को 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की आस्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बजाए उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जिनके पास 100 करोड़ और उससे अधिक की आस्तियां हैं, लागू करके आरंभिक स्तर को बढ़ाया गया। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी बाजार एक्सपोज़र जैसे कि आइपीओ को वित्तपोषण, शेयरों, डिबेंचरों और बांडों के संबंध में सकल बिक्री और खरीद और शेयर दलालों की ओर से जारी की गई गारंटियों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी देना आवश्यक है। इस प्रारुप को पुनः संशोधित किया गया ताकि उसमें लाभ-हानि लेखा में संचित शेष, एनपीए का अवधिवार ब्रेक-अप, कार्यशील पूंजीगत सीमा में सबसे अधिक बकाया शेष, कंपनी के पूंजी बाजार एक्सपोज़र की कतिपय मदें और निधियों के विदेशी स्रोत, यदि कोई हो, जैसे मापदंडों को शामिल किया जा सके। संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली के अंतर्गत विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना जुलाई 2006 से अपेक्षित था।

अपने ग्राहकों को जानिए (केवाइसी) संबंधी दिशा निदेश

5.35 फरवरी 2005 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ग्राहक स्वीकरण नीति और खाता खोलते समय अपनाई जानेवाली ग्राहक की पहचान करने संबंधी प्रक्रिया के बारे में उन्हीं अनुदेशों की तरह सूचित किया गया जो बैंकों को जारी किए गए थे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सूचित किया गया था कि वे अपने ग्राहकों को जोखिम की अपनी समझ के अनुसार कम, मध्यम और उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत करें। केवाइसी दिशा-निर्देशों में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे निर्दिष्ट दस्तावेजों के जरिए ग्राहक की पहचान और उसके पते का सत्यापन करें। यद्यपि दिशा-निर्देशों में ग्राहक की पहचान और उसके पते के प्रमाण से संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता के बारे में कुछ घटनाएं हुई है जहां निम्न आय वाले समूह के व्यक्ति अपनी पहचान और पते के बारे में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो कुल मिलाकर सभी खातों में 50,000/- रुपए से अनधिक शेष बनाए रखना चाहते हैं और कुल मिलाकर इन सभी खातों में जिनकी कुल जमाराशि 1,00,000/- रुपए से अधिक नहीं होती है, खाता खोलते समय अपनाई जानेवाली केवाइसी क्रियाविधि को और भी सरल बनाने का निर्णय किया गया। तदनुसार, मार्च 2006 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सूचित किया गया कि वे ग्राहकों को इस बात की जानकारी दें कि किसी एक समय पर न्यूनतम शेष की सीमा का उल्लंघन होने पर आगे लेनदेन करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि केवाईसी क्रियाविधि का पालन नहीं कर लिया जाता।

5.36 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सूचित किया गया था कि वे संदेहास्पद स्वरूप के लेनदेनों पर नजर रखें ताकि उनकी सूचना उचित प्राधिकारी को दी जा सके। धनशोधन निवारक मानदंड और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम पर वित्तीय कार्रवाई संबंधी कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों के आलोक में इन केवाइसी मानदंडों को संशोधित किया गया । अतः शेष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोड़कर, जमाराशियां स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अक्तूबर 2005 में सूचित किया गया कि वे ऐसी प्रणालियां लागू करें जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकारने के लिए प्राधिकृत किए गए एजंट/दलाल को आसानी से पहचान लिया जाता है और उनके द्वारा रखी जा रही लेखा बहियां, जब भी जरूरत हो, लेखापरीक्षा और निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी जमारसीदों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों का नाम और पता होना चाहिए और उसमें दलालों / एजंटों और उनके पतों सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियां इकट्ठा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नामों का अनिवार्य रूप से उल्लेख होना चाहिए। संपर्क कार्यालय (दलालों/एजंटों सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों का कार्यालय) में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियां इकट्ठा करने के लिए प्राधिकृत ऐसे अधिकारियों और/या व्यक्तियों के टेलीफोन नंबर सहित जानकारी दिया जाना भी आवश्यक है ताकि फील्ड व्यक्तियों से संपर्क किया जा सके और अदावाकृत/कालातीत जमाराशियों, ठप्प जमाराशियों, ब्याज का भुगतान और अन्य ग्राहक शिकायतों जैसे उचित मामलों को हल किया जा सके। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे उन मामलों में जहां जमाराशियां आना ठप हो जानेवाली घटनाएं अधिक हैं, दलालों/एजंटों सहित व्यक्तियों का पता लगाने के लिए समुचित समीक्षा क्रियाविधि तैयार करें।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ियों पर नजर रखना

5.37 अक्तूबर 2005 में, धोखाधड़ियों के वर्गीकरण, धोखाधड़ियों की निगरानी और उनकी रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं के बारे में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी सहित) को दिशा निर्देश जारी किए गए। ऐसे अलग-अलग मामलों को जहां धोखाधड़ी की राशि 25 लाख से कम है, रिज़र्व बैंक के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया जाना आवश्यक है जिसके अधिकारक्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। धोखाधड़ी के उन अलग-अलग मामलों को जिनमें शामिल राशि 25 लाख रुपए और उससे अधिक है, मुंबई स्थित रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय को सूचित किए जाने चाहिए।

क्रेडिट कार्ड परिचालनों के लिए निष्पक्ष व्यवहार्य संहिता

5.38 मार्च 2005 में आइबीए द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार क्रेडिट कार्ड परिचालनों के लिए नवंबर 2005 में सुप्रलेखित नीति और निष्पक्ष व्यवहार संहिता अपनाने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था। इस संदर्भ में जारी किए गए दिशा-निदेशों में कार्ड जारी करने, ब्याज दर और अन्य प्रभार लगाने, गलत बिल बनाने, सीधी बिक्री एजेंटों (डीएसए) / प्रत्यक्ष विपणन एजेंटों (डीएमए) और अन्य एजंटों के उपयोग, ग्राहक अधिकार के संरक्षण, प्राइवेसी का अधिकार, ग्राहकों की गोपनीयता, ऋण की वसूली में निष्पक्ष व्यवहार करने, शिकायतें दूर करने के आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली और दंड लगाने के अधिकार से संबंधित मानदंड शामिल हैं।

बैंकों के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का समामेलन / विलय

5.39 जून 2004 में यह निर्णय किया गया था कि किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समामेलन / विलय के लिए कदम उठाने से पहले बैंकों को चाहिए कि वे रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लें ताकि विलयोत्तर बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के संबंधित उपबंधो, अन्य संबंधि सांविधियों और रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक निर्धारणों के अनुपालन में बना रहे।

व्यवसाय संपर्की के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

5.40 ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (जो जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं करती हैं) जिन्हें बैंकों द्वारा कारोबार संपर्की (करस्पोंडेंट) का कार्य सौंपा जा सकता है, के पात्रता संबंधी मानदंडों के परीक्षण का काम पूरा होने तक बैंकों को मार्च 2006 में सूचित किया गया कि वे कारोबार संपर्की के रुप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां के चयन / उपयोग को स्थगित कर दें। तथापि, बैंक उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कारोबार संपर्की के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया है।

जनता से प्राप्त जमाराशियों / जमाराशियों का परिपक्वतापूर्ण पुनर्भुगतान

5.41 रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि कुछ कंपनियों ने अपने जमाकर्ताओं को अपनी जमाराशियों को परिपक्वता से पहले निकालने का अधिकार दिया है। इस प्रकार की प्रथा कंपनियों के आस्ति और देयता प्रबंध (एएलएम) अनुशासन को भंग करती है। उस कंपनी के मामले में जिसकी आस्तियां उसकी बाहरी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, ऐसे पुनर्भुगतान उन जमाकर्ताओं के लिए अधिमान्य व्यवहार कहलाएगा जो बैंक से अपनी जमाराशियां पहले ही निकाल ले गए हैं। एएलएम अनुशासन की सुरक्षा के लिए और अधिमान्य भुगतान को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से परिपक्वतापूर्व पुनर्भुगतान से संबंधित उपबंधों की समीक्षा की गई और अक्तूबर 2005 में संशोधित दिशा निदेश जारी किए गए जिनमें पात्रता और न्यूनतम अवरुद्धता अवधि जैसे क्षेत्रों को समाविष्ट किया गया है। परिचालन की सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिपक्वतापूर्व पुनर्भुगतान से संबंधित उपबंधों पर पुनर्विचार किया गया है। तदनुसार, दिसंबर 2005 में यह स्पष्ट किया गया कि जमाकर्ता को 10,000/- रुपए तक के परिपक्वतापूर्व पुनर्भुगतान करने / ऋण देने, जैसे भी स्थिति हो, के प्रयोजन के लिए सभी जमा खातों को एक साथ मिलाने से संबंधित शर्त केवल समस्याग्रस्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों / शेष गैर बैंकिंग कंपनियों / विविध गैर बैंकिंग कंपनियों के मामले में लागू होगी। किसी जमाकर्ता की मृत्यू हो जाने पर समस्याग्रस्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों / शेष गैर बैंकिंग कंपनियों / विविध गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए भी जमाराशि / जनता से प्राप्त जमाराशियों को एक साथ मिलाए बिना अवरुद्धता अवधि वाली जमाराशि / जनता से प्राप्त जमाराशि को लौटाना आवश्यक होगा।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सांविधिक के लेखा परीक्षकों के पार्टनरों का आवर्तन

5.42 कंपनी अभिशासन की जरुरत ने काफी महत्व हासिल कर लिया है। विश्व भर की कंपनियां निवेशकों और अन्य पण्य धारकों का विश्वास बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम कंपनी प्रथाओं को तेजी से अपना रही हैं। इस संदर्भ में, यह महसूस किया गया कि कंपनियों की लेखा बहियों की संवीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के आवर्तन से कंपनी अभिशासन में और मजबूती आएगी। तदनुसार, 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक की जनता की जमाराशियों / जमाराशियों वाली शेष गैर बैंकिंग कंपनियों को दिसंबर 2005 में यह सूचित किया गया था कि वे कंपनी की लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त की गई लेखा परीक्षा फर्मों को प्रत्येक तीन वर्ष के बाद बदलते रहें ताकि एक ही पार्टनर लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए कंपनी की लेखा परीक्षा न करता रहे। तथापि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / शेष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यदि चाहती हों तो, इस प्रकार से बदल गए पार्टनर तीन वर्ष का अवधि के बाद गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / शेष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां की लेखा परीक्षा करने के पात्र होंगे। कंपनियों को यह सूचित किया गया है कि वे लेखा परीक्षकों की फर्म के नियुक्ति पत्र में यथोचित शर्तें शामिल करें।

नियंत्रण / प्रबंधन में परिवर्तन के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना जारी / करना

5.43 जनवरी 2006 से निर्धारित किए गए संशोधित मानदंडों के अनुसार जहाँ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 और 394 के अनुसरण में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विलय / समामेलन हुआ हो वहाँ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक को एक माह के अंदर सूचना देना आवश्यक है। ऐसे मामलों में सार्वजनिक सूचना देना भी आवश्यक नहीं है। इन अनुदेशों के जारी होने से पहले सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जमाराशियां स्वीकारने वाली और न स्वीकारने वाली) के लिए कंपनी के नियंत्रण / प्रबंधन में परिवर्तन के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना देना आवश्यक था। तथापि, जहाँ बिक्री / अंतरण या अन्यथा रूप से कोर्ट के आदेशानुसार विलय / समामेलन या कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन हुआ हो वहाँ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (शेष गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) (जमाराशियां स्वीकारने वाली और न स्वीकारने वाली) को चाहिए कि वे 30 दिन पूर्व सार्वजनिक सूचना दें। यदि विलय / समामेलन / अभिग्रहण / बिक्री या स्वामित्व के अंतरण के फ्लस्वरूप किसी नई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का गठन हुआ हो तो रिज़र्व बैंक नई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निदेशकों की उचित निगरानी करेगा ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनिमय, 1934 की धारा 45 I क (ग) के उपबंधों का अनुपालन किया जा सके।

शेष गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा निदेशित निवेशों का बनाए रखा जाना

5.44 जमाकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के एक उपाय के रुप में शेष गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए यह आवश्यक है कि वे स्वीकार की गई जमाराशियों को समय-समय पर निर्धारित तरीके के अनुसार निवेश करें। उसकी समीक्षा करने पर, शेष गैर बैंकिंग (रिज़र्व बैंक) निदेशों में निहित निवेश पैटर्न को 31 मार्च 2006 में संशोधित किया गया और जमाकर्ता के प्रति कुल देयताओं (एएलडी) को दो शीर्षों, नामतः 31 दिसंबर 2005 की स्थिति के अनुसार एएलडी एवं उसके बाद वाले वृद्धिशील एएलडी में विभाजित किया गया। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे 1 अप्रैल 2006 से, निर्धारित तौर तरीके से 31 दिसंबर 2005 को मौजूदा एएलडी का 95 प्रतिशत और वृद्धिशील जमाराशि का 100 प्रतिशत निवेश करें। उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि 1 अप्रैल 2007 से एएलडी की संपूर्ण राशि निदेशित निवेशों में निवेशित की जाएगी और 1 अप्रैल 2007 से विवेकाधिकार के अंतर्गत किसी भी निवेश की अनुमति नहीं होगी (बॉक्स V.1)।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण कंपनियां

5.45 रिज़र्व बैंक को अब तक प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निमाण कंपनी (आरसी) का कारोबार आरंभ करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु 18 आवेदन प्राप्त हुए हैं। रिज़र्व बैंक ने चार कंपनियों, नामतः एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. एसेट्स केयर ऐंटरप्राइज लि., एएसआरईसी (इंडिया लि. और पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लि. को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं। चार आवेदन कार्रवाई के विभिन्न स्तर पर हैं जब कि दो आवेदनों को, कंपनियां निगमित न होने के कारण लौटा दिया गया। आठ आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए।

5.46 29 मार्च 2004 से एससी / आरसीके लिए यह आवश्यक था कि वे अपनी स्वाधिकृत निधियों को इस बात पर ब्याज दिए बिना

बॉक्स V.1: शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा निदेशित निवेश करना

शेष गैर बैंकिंग कंपनियों का व्यवसाय दैनिक जमाराशियों, आवर्ती जमाराशियों और सावधि जमाराशियों के रूप में जनता से जमाराशियां स्वीकार करना है। ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जिन्हें उपकरण लीजिंग, किराया खरीद, ऋण, निवेश, निधि या चिट फंड कंपनियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है लेकिन जो बैंक की आवर्ती जमा योजनाओं के समान विभिन्न योजनाएं चलाकर जनता की बचत राशियां स्वीकार करती हैं, उन्हें शेष गैर बैंकिंग कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 31 मार्च 2006 को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (शेष गैंर बैंकिंग कंपनियों सहित) की कुल जमाराशियां 22,842 करोड़ रुपए थी जिसमें शेष गैर बैंकिंग कंपनियों की जमाराशियां 20,175 करोड़ रुपए थी जो कुल जमाराशियों का 88.3 प्रतिशत था।

वर्तमान में, रिज़र्व बैंक में तीन शेष गैर बैंकिंग कंपनियां पंजीकृत हैं जिनके नाम हैं- सहारा इंडिया फाइनेंशियल कार्पोरेशन लि., पियरलेस जनरल फाइनेंस ऐंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लि. और दिसारी इंडिया सेविंग्स ऐंड क्रेडिट कार्पोरेशन लि.। अन्य गैर बैंकिंग कंपनियां जो अपनी आस्तियों को किसी भी तरह से अभिनियोजित कर सकती हैं, के विपरित शेष गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए केवल निवेश के निदेशित पैटर्न में ही निवेश करना आवश्यक है। 22 जून 2004 से पहले, शेष गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए यह आवश्यक था कि वे अपने 80 प्रतिशत एएलडी का निवेश रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित तौर-तरीके से ही करें। निदेशित निवेश के पैटर्न की समीक्षा की गई और सकल प्रणालीगत जोखिम को कम करने और शेष गैर बैंकिंग कंपनी के निवेश को व्यापक तरलता और सुरक्षा प्रदान करके उसके द्वारा जमाकर्ताओं को उपलब्ध संरक्षण को बढ़ाने के लिए उसे 22 जून 2004 से युक्तियुक्त बनाया गया। संशोधित निवेश पैटर्न के अनुसार 1 अप्रैल 2005 से निदेशित निवेश की मात्रा को एएलडी के 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत और 1 अप्रैल 2006 से एएलडी का 100 प्रतिशत कर दिया गया है। उसके अलावा, निवेश को अधिकाधिक सुरक्षित और तरल बनाने के लिए उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में अपने निवेश को बढ़ाने और अन्य प्रतिभूतियों के मामले में केवल निर्धारित और सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में और ऋणोन्मुख पारस्परिक निधियों में निवेश करने के लिए सूचित किया गया है। किसी अकेले अनुसूचित वाणिज्य बैंक या किसी अकेली विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था के प्रति एक्सपोज़र को भी प्रतिबंधित किया गया है।

समीक्षा करने पर शेष गैर बैंकिंग कंपनियों के दिशा निदेशों में निहित निवेश पैटर्न को 31 मार्च 2006 में संशोधित किया गया जिनके लिए एएलडी को दो शीर्षों, नामतः 31 दिसंबर 2005 को मौजूद एएलडी और वृद्धिशील एएलडी (जमाकर्ता के प्रति देयताएं जो 31 दिसंबर 2005 के बाद उपचित हुई हों) में विभाजित किया गया। कंपनियों को यह सूचित किया गया कि 1 अप्रैल 2006 से वे 31 दिसंबर 2005 की स्थिति के अनुसार अपने एएलडी के 95 प्रतिशत से अन्यून राशि और संपूर्ण वृद्धिशील जमाराशि निर्धारित तरीके से निवेश करें। यह भी सूचित किया गया था कि 1 अप्रैल 2007 से एएलडी की संपूर्ण राशि निदेशित निवेश में निवेशित की जाएगी और शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों को विवेकाधिकार के अंतर्गत निवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

कि क्या इन आस्तियों को प्रतिभूतीकरण के प्रयोजन के लिए स्थापित ट्रस्ट के नाम अंतरित किया गया है या नहीं, इतना बढ़ाएं कि वे (निधियां) एससी / आर सी द्वारा सकल आधार पर प्राप्त की गई / की जानेवाली कुल वित्तीय आस्तियों के 15 प्रतिशत या 100 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, से कम न हों। नवंबर 2005 में, सरकार ने एससी / आरसी की इक्विटी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआई) को एससी / आरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश करने की अनुमति दे दी। तदनुसार, विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड (एफआइपीबी) रिज़र्व बैंक में पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में निदेश करने के लिए एफडीआई रुट के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों / संस्थाओं के आवेदनों पर विचार करेगा। अधिकतम विदेशी इक्विटी, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहाँ किसी अकेली संस्था द्वारा किया गया निवेश प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक हो वहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी के लिए वित्तीय आस्ति प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एसएआरएफ एइएसआई) की धारा 3 (3) (एफ) के उपबंधों का पालन करना आवश्यक होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत वित्तीय संस्थाओं को भी रिज़र्व बैंक में पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश करने की सामान्य अनुमति दी गई है। विदेशी निवेश संस्थाएं प्रतिभूति रसीद योजना की प्रत्येक श्रृंखला के 49 प्रतिशत तक निवेश कर सकती हैं लेकिन शर्त यह है कि एसआर योजना की प्रत्येक श्रृंखला में अकेले विदेशी संस्थागत निवेशक का निवेश निर्गम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5.47 प्रतिभूतिकरण कंपनियां / पुनर्निर्माण कंपनियां वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, की धारा 5 के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से आस्तियां प्राप्त कर सकती हैं और अधिनियम की धारा 7 के अनुसार पात्र संस्थागत क्रेताओं को प्रतिभूति रसीदें जारी कर सकती हैं। प्रतिभूतीकरण कंपनियां / पुनर्निर्माण कंपनियां उक्त अधिनियम की धारा 9 में बताए गए अनुसार आस्तियों के पुनर्निर्माण के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकती हैं : (i) उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन करके या उसे अपने हाथ में लेकर उधारकर्ता के कारोबार का उचित प्रबंधन; (ii) उधारकर्ता के कारोबार के एक भाग या संपूर्ण कारोबार की बिक्री या लीज़; (iii) उधारकर्ता द्वारा देय ऋणों के भुगतान का पुनर्निर्धारण; (iv) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन; (v) उधारकर्ता द्वारा अदा की जाने वाली देयराशि का निपटान; और (vi) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जमानती आस्तियों का कब्जा लेना। तथापि रिज़र्व बैंक ने एससी / आरसी को ये अनुदेश दिए हैं कि वे ऊपर (i) और (ii) में बताए गए उपायों पर तब तक अमल न करें जब तक कि इस संबंध में आवश्यक दिशा-निदेश तैयार नहीं कर लिए जाते।

5.48 रिज़र्व बैंक ने मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण के बारे में फरवरी 2006 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को (शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों सहित) दिशा-निदेश जारी किए। दिशा-निदेशों में मुख्यतः वास्तविक बिक्री से संबंधित परिभाषा और मानदंड, एसपीपी द्वारा पूरे किए जानेवाले मापदंड, अभ्यवेदनों और वारंटियों सहित विशेष विशिष्टियां एवं एसपीवी से आस्तियों की पुनर्खरीद, ऋण बढ़ाने के उपबंधों से संबंधित नीति, चलनिधि और हामीदारी (अंडरराइटिंग) सुविधा, सेवाओं के उपबंधों से संबंधित नीति, एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और प्रतिभूतीकरण संबंधी लेनदेनों का लेखाकरण शामिल हैं।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण

5.49 मार्च 2006 के अंत तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रुप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए रिज़र्व बैंक को 38,244 आवेदन प्राप्त हुए थे। उनमें से रिज़र्व बैंक ने 13,141 (निरस्तीकरण को छोड़कर) आवेदनों को अनुमोदित किया जिनमें उन 423 कंपनियों (निरस्तीकरण को छोड़कर) के आवेदन शामिल हैं जिन्हें जनता से जमाराशियां स्वीकारने / रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है। जून 2006 के अंत में रिज़र्व बैंक में पंजीकृत की गई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या (निरस्तीकरण की छोड़कर) 13,014 थी। इनमें से 428 जनता से जमाराशि स्वीकारने वाली कंपनियां थीं (सारणी V.13)।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (शेष गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) की रुपरेखा

5.50 सूचना देने वाली कंपनियों जिनमें एनबीएफसीडी (जमाराशि स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) शेष गैर बैंकिंग कंपनियां, पारस्परिक लाभ कंपनियां (एमबीसी), विवधि गैर बैंकिंग कंपनियां (एमएनबीसी) और निधि कंपनियां शामिल है, की संख्या सितंबर 2005 के अंत में रही 576 से घटकर सितंबर 2006 के अंत में 466 हो गई। 30 सितंबर 2005 अंतिम तारीख तय कर देने के फलस्वरूप 130 और कंपनियों ने मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणियां

सारणी V.13: रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या

जून के अंत में	सभी गैर-बै.वि. कंपनियां	जनता की जमाराशि स्वीकार करनेवाली गैर बैं.वि.कंपनियां
1	2	3
1999	7,855	624
2000	8,451	679
2001	13,815	776
2002	14,077	784
2003	13,849	710
2004	13,764	604
2005	13,261	507
2006	13,014	428

प्रस्तुत की। सूचना देने वाली एनबीएफसी-डी की संख्या सितंबर 2005 के अंत की 413 से घटकर सितंबर 2006 के अंत में 386 हो गई। सूचना देनेवाली पारस्परिक लाभ कंपनियों विविध गैर बैंकिंग कंपनियों (मुख्यतः चिट कंपनियों) और निधि कंपनियों की संख्या सितंबर 2005 के अंत में रही 157 से घटकर सितंबर 2006 में 77 हो गई। तथापि, जमा स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और शेष गैर बैंकिंग कंपनियों के कुल आस्ति आकार और जनता से प्राप्त जमाराशियों की तुलना में ये कंपनियां नगण्य हैं।

5.51 जमा स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या मार्चांत 2005 की 474 से घट कर मार्चांत 2006 में 426 हो गई। इस कमी का मुख्य कारण कई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का जमाराशि स्वीकारने की गतिविधियों से बाहर हो जाना था। तथापि, मार्चांत 2006 में अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों की संख्या तीन बरकरार रही।

5.52 वर्ष 2005-06 के दौरान सूचना देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों और जनता से प्राप्त जमाराशियों में क्रमशः 2,394 करोड़ रुपए और 2,316 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। सूचना देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या में भारी कमी के बावजूद, वर्ष 2005-06 के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्वाधिकृत निधियों में 562 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई (सारणी V.15)। वर्ष के दौरान तीन शेष गैर बैंकिंग कंपनियों की कुल आस्तियों और जनता से प्राप्त जमाराशियों में भारी वृद्धि हुई।

5.53 मार्च 2005 के अंत में सूचना देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियां अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमाराशियों का 1.1 प्रतिशत थीं जबकि मार्च 2005 के अंत में ये 1.2 प्रतिशत थीं। मार्च 2005 के अंत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जनता से प्राप्त जमाराशियों में भारी वृद्धि के बावजूद व्यापक चलनिधि, ($एल_3$) में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अंश में तीव्र गिरावट आई (चार्ट V.2)।

चार्ट V.2: व्यापक चलनिधि ($एल_3$) में एनबीएफसी की जनता की जमाराशि का हिस्सा

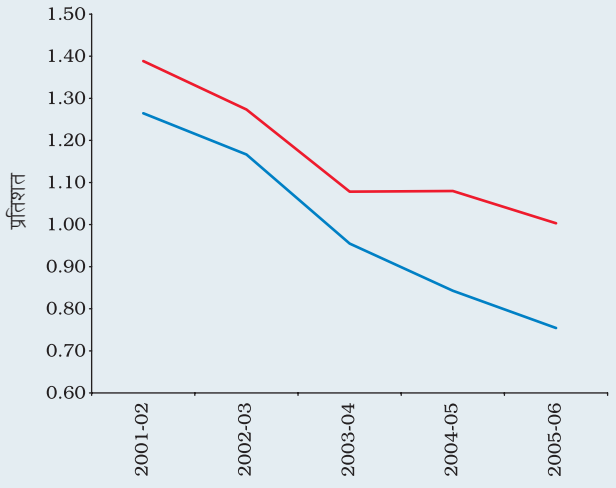

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (शेष गैर बेंकिंग कंपनियों को छोड़कर) के कार्य

5.54 वर्ष 2005-06 के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (शेष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोड़कर) की कुल आस्तियों / देयताओं में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उधारी जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निधियों का मुख्य स्रोत है, में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनता से प्राप्त जमाराशियों और प्रदत्त पूंजी में भारी गिरावट आई। आस्ति की तरफ, किराया खरीद आस्तियों में तीव्र वृद्धि हुई। तथापि, ऋण और अग्रिमों एवं उपकरण लीजिग आस्तियों में तेजी से कमी आई। वर्ष 2005-06 के दौरान हालांकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एसएलआर निवेश में कमी आई, गैर एसएलआर निवेश में वृद्धि हुई (सारणी V.15)।

सारणी V.14: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विवरण*

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में			
	2005		2006	
	गैर बैं.वि.कं.	*जिनमें से:* अवशिष्ट गैर बैं.कं.	गैर बैं.वि.कं.	*जिनमें से:* अवशिष्ट गैर-बैं.कं.
1	2	3	4	5
सूचना देनेवाली कंपनियों की सं.	703	3	466	3
कुल आस्तियां	55,059	19,056 (34.6)	57,453	21,891 (38.1)
जनता की जमाराशियां	20,526	16,600 (80.9)	22,842	20,175 (88.3)
निवल स्वाधिकृत निधियां	6,101	1,065 (17.5)	6,663	1,183 (17.8)

* : विविध गैर बैंकिंग कंपनियां, अपंजीकृत एवं अनधिसूचित निधि सहित।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल जमाराशि में प्रतिशत के द्योतक हैं।

सारणी V.15: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		अंतर			
	2005	2006	2004-05		2005-06	
			वास्तविक	प्रतिशत	वास्तविक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रदत्त पूंजी	2,206 (6.1)	1,949 (5.5)	-121	-5.2	-257	-11.7
2. रिज़र्व और अधिशेष	4,544 (12.6)	4,838 (13.6)	130	2.9	294	6.5
3. जनता की जमाराशि	3,926 (10.9)	2,667 (7.5)	-391	-9.1	-1,259	-32.1
4. उधार	23,044 (64.0)	23,641 (66.5)	2,192	10.5	597	2.6
5. अन्य देयताएं	2,283 (6.3)	2,466 (6.9)	1,439	170.5	183	8.0
कुल देयताएं / आस्तियाँ	**36,003**	**35,561**	**3,249**	**9.9**	**-442**	**-1.2**
1. निवेश						
i) सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी निवेश	2,237 (6.2)	1,314 (3.7)	530	31	-923	-41.3
ii) गैर सांविधिक चलनिधि संबंधी निवेश	1,720 (4.8)	2,275 (6.4)	-390	-18.5	555	32.3
2. ऋण और अग्रिम	12,749 (35.4)	9,199 (25.9)	386	3.1	-3,550	-27.8
3. किराया खरीद आस्तियां	14,400 (40.0)	19,893 (55.9)	2,751	23.6	5,493	38.1
4. उपस्कर पट्टा आस्तियां	2,025 (5.6)	1,620 (4.6)	-1,011	-33.3	-405	-20.0
5. बिल संबंधी कारोबार	471 (1.3)	45 (0.1)	34	7.8	-425	-90.4
6. अन्य आस्तियां	2,401 (6.7)	1,215 (3.4)	948	65.2	-1,186	-49.4

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल देयताओं / आस्तियों के प्रतिशत का द्योतक हैं।

5.55 वर्ष 2005-06 के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समूहों में, किराया खरीद वित्तीय कंपनियों की आस्तियों / देयताओं में वृद्धि हुई जबकि उपकरण लीजिंग, निवेश कंपनियों और ऋण कंपनियों की आस्तियों / देयताओं में कमी आई। इससे मोटे तौर पर जमाराशियों और उधारी के रूप में जुटाए गए संसाधनों का प्रभाव दिखाई दिया। मार्चांत 2006 में किराया खरीद वित्त कंपनियां सबसे बड़ा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी समूह थीं जिनका सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों / देयताओं में 80.7 का योगदान था। उसके बाद उपकरण लीजिंग कंपनियों (9.8 प्रतिशत), निवेश कंपनियों (4.5 प्रतिशत) और ऋण कंपनियों (3.9 प्रतिशत) का स्थान था (सारणी V.16)।

जमाराशियां

विभिन्न श्रेणियों की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जनता से प्राप्त जमाराशियों की रुपरेखा

5.56 वर्ष 2005-06 के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सभी समूहों द्वारा धारित जनता से प्राप्त जमाराशियों में कमी आई। तथापि, किराया खरीद कंपनियों के मामले में कमी अपेक्षाकृत कम थी जिसके फलस्वरूप गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल जनता से प्राप्त जमाराशियों में किराया खरीद कंपनियों द्वारा धारित जनता से प्राप्त जमाराशियों का अंश 2004-05 के 61.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 76.5 प्रतिशत हो गया। अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समूहों के पास जनता से प्राप्त जमाराशि का थोड़ा अंश था (सारणी V.17)। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियां 0.5 करोड़ रुपए से कम और 50 करोड़ रुपए के दायरे में थीं।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों का आकारवार वर्गीकरण

5.57 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियां 0.5 करोड़ रुपए से कम और 50 करोड़ रुपए के दायरे में थी। वर्ष 2005-06 के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या और उनके द्वारा धारित सभी आकार की जमाराशियों में कमी आई। तथापि 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक की जमाराशि वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या में आई कमी के बावजूद इस दायरे वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की

सारणी V.16: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की देयता के मुख्य घटक - समूहवार

(राशि करोड़ रुपए)

गैर बैं. वि.कं. समूह	मार्च के अंत में					
	देयताएं		जमाराशियां		उधार	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
1. उपस्कर पट्टा	4,727 (13.1)	3,489 (9.8)	343 (8.7)	153 (5.8)	3,112 (13.5)	2,306 (9.8)
2. किराया खरीद	20,500 (56.9)	28,682 (80.7)	2,423 (61.7)	2,039 (76.4)	13,385 (58.1)	19,516 (82.6)
3. निवेश	1,890 (5.2)	1,610 (4.5)	94 (2.4)	81 (3.0)	1,092 (4.7)	697 (2.9)
4. ऋण	6,964 (19.3)	1,377 (3.9)	205 (5.2)	77 (2.9)	4,656 (20.2)	1,035 (4.4)
5. अन्य	1,922 (5.3	404 (1.1)	861 (21.9)	317 (11.9)	799 (3.5)	86 (0.4)
कुल(1 to 5)	**36,003 (100.0)**	**35,561 (100.0)**	**3,926 (100.0)**	**2,667 (100.0)**	**23,044 (100.0)**	**23,641 (100.0)**

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल में प्रतिशत के द्योतक हैं।

जमाराशि के अंश में वृद्धि हुई। कुल जमाराशियों का 80 प्रतिशत अंश 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक जमाराशियों वाली 17 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास था जबकि जनता से प्राप्त कुल जमाराशियों का 20 प्रतिशत शेष 446 कंपनियों के पास था (सारणी V.18)।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियों की क्षेत्र-वार संरचना

5.58 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सभी क्षेत्रों में धारित जमाराशि में वर्ष 2005-06 के दौरान कमी आई। मार्च 2006 के अंत में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियों में सबसे बड़ा हिस्सा (77.2 प्रतिशत) दक्षिणी क्षेत्र का था, इसके बाद 12.0 प्रतिशत के अंश के साथ उत्तरी क्षेत्र का स्थान था। जनता से प्राप्त जमाराशियों में उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र की धारिता 17.5 प्रतिशत थी जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र ने कोई जमाराशि धारित नहीं की थी (सारणी V.19)।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जनता से प्राप्त जमाराशियों की ब्याज दर और परिपक्वता का पैटर्न

5.59 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सभी ब्याज दरों के लिए संविदाकृत जमाराशियों में वर्ष 2005-06 के दौरान कमी आई।

सारणी V.17: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - समूहवार

(राशि करोड़ रुपए)

गैर बैं. वि.कं. समूह	मार्च के अंत में					
	गैर बैं.वि.कं. की संख्या		जनता की जमाराशियां		प्रतिशतता अंतर	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
1. उपस्कर पट्टा	40	35	343 (8.7)	153 (5.7)	-0.3	-55.4
2. किराया खरीद	336	312	2,423 (61.7)	2,039 (76.5)	-18.2	-15.8
3. निवेश	5	5	94 (2.4)	81 (3.0)	-12.3	-12.9
4. ऋण	69	34	205 (5.2)	77 (2.9)	15.2	-62.4
5. अन्य*	250	77	861 (21.9)	317 (11.9)	18.4	-63.2
कुल (1 to 5)	**700**	**463**	**3,926 (100.0)**	**2,667 (100.0)**	-9.1	-32.1

* : विविध गैर बैंकिंग कंपनी, अपंजीकृत और अनधिसूचित निधि सहित।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल में प्रतिशत के द्योतक हैं।

सारणी V.18: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशि की सीमा

(राशि करोड़ रुपए)

जमाराशि की सीमा	मार्च के अंत में			
	गैर बैं.वि.कं. की संख्या		जमाराशि	
	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5
1. 0.5 करोड़ रुपए से कम	368	264	43 (1.1)	37 (1.4)
2. 0.5 करोड़ रुपए से अधिक और रुपए 2 करोड़ रुपए तक	197	120	195 (5.0)	116 (4.3)
3. रुपए 2 करोड़ से अधिक और रुपए 10 करोड़ तक	84	48	375 (9.6)	201 (7.5)
4. रुपए 10 करोड़ से अधिक और रुपए 20 करोड़ तक	18	14	265 (6.7)	196 (7.3)
5. रुपए 20 करोड़ से अधिक और रुपए 50 करोड़ तक	18	6	601 (15.3)	199 (7.5)
6. रुपए 50 करोड़ और उससे अधिक	15	11	2,447 (62.3)	1,917 (71.9)
कुल (1 to 6)	**700**	**463**	**3,926 (100.0)**	**2,667 (100.0)**

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल जमाराशि का प्रतिशत दर्शाते हैं।

मार्च 2006 के अंत में 10 प्रतिशत तक की ब्याज दरों से संविदा की गई जमाराशियों का अंश 83.4 प्रतिशत था (सारणी V.20)।

जनता से प्राप्त जमाराशियों की परिपक्वता का स्वरूप

5.60 वर्ष के दौरान सभी परिपक्वता के दायरों वाली संवीदाकृत जमाराशियों में गिरावट आई। मार्च 2005 के अंत में '2 से अधिक और 3 वर्ष तक' की परिपक्वता के समूह वाली जमाराशियों में यह कमी बहुत अधिक थी। इसके फलस्वरूप, मार्चांत 2006 में कुल

सारणी V.20: ब्याज दर के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जनता की जमाराशियों का वर्गीकरण

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

ब्याज दायरा	2005	2006
1	2	3
1. 10 प्रतिशत तक	2,696 (68.7)	2,224 (83.4)
2. 10 प्रतिशत से अधिक और 12 प्रतिशत तक	853 (21.7)	310 (11.6)
3. 12 प्रतिशत से अधिक और 14 प्रतिशत तक	196 (5.0)	51 (1.9)
4. 14 प्रतिशत से अधिक और 16 प्रतिशत तक	125 (3.2)	57 (2.1)
5. 16 प्रतिशत और उससे अधिक	56 (1.4)	26 (1.0)
कुल (1 to 5)	**3,926 (100.0)**	**2,667 (100.0)**

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल जमाराशि का प्रतिशत दर्शाते हैं।

सारणी V.19: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा धारित जनता की जमाराशि का क्षेत्रवार विवरण

(राशि करोड़ रुपए)

क्षेत्र	2004-05		2005-06	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
1. उत्तरी	200	351 (8.9)	190	321 (12.0)
2. उत्तर-पूर्वी	0	0 (0.0)	1	– (-)
3. पूर्वी	15	178 (4.5)	11	148 (5.5)
4. मध्य	72	92 (2.4)	62	34 (1.3)
5. पश्चिमी	32	280 (7.1)	27	104 (3.9)
6. दक्षिणी	381	3,024 (77.0)	172	2,060 (77.2)
कुल (1 to 6)	**700**	**3,926**	**463**	**2,667**
महानगर:				
1. मुंबई	15	268	13	94
2. चेन्नई	328	2,771	130	1,953
3. कोलकाता	11	158	9	134
4. नई दिल्ली	80	265	69	237
कुल (1 to 4)	**434**	**3,463**	**221**	**2,418**

– : शून्य / नगण्य।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

जमाराशियों में उनके अंश में कमी आई जबकि अन्य परिपक्वता वाली जमाराशियों के अंश में वृद्धि हुई (सारणी V.21)।

5.61 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 'एक से तीन वर्ष' की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों की अधिकतम ब्याज दर और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उसी अवधि की जमाराशियों

सारणी V.21: गैर बैंकिंग वि. कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशि का परिपक्वता स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए में)

परिपक्वता स्वरूप @	मार्च के अंत में	
	2005	2006
1	2	3
1. एक वर्ष से कम	1,208 (30.8)	1,060 (39.8)
2. एक वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	940 (24.0)	732 (27.4)
3. 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	1,357 (34.6)	563 (21.1)
4. 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	402 (10.2)	306 (11.5)
5. 5 वर्ष और उससे अधिक	19 (0.5)	5 (0.2)
कुल (1 to 5)	**3,926 (100.0)**	**2,667 (100.0)**

@ : बकाया जमाराशियों की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि पर आधारित।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

पर दी जा रही ब्याज दरों का अंतर मार्च 2005 के अंत में रहे 4.0 प्रतिशत से बढ़ कर मार्च 2006 के अंत में 4.75 प्रतिशत हो गया (सारणी V.22)।

सारणी 22: बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों पर अधिकतम ब्याज दर/सीमा

(प्रतिशत)

मद	मार्च के अंत में					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
1. सरकारी क्षेत्र के बैंक की 1-3 वर्ष की परिपक्वता वाली जमाराशि पर अधिकतम ब्याज दर	9.50	8.50	6.75	6.75	7.00	6.25
2. गैर बैं.वि.कं.की ब्याज दर सीमा	14.00	12.50	11.00	11.00	11.00	11.00
3. स्प्रेड (2-1)	4.50	4.00	4.25	4.25	4.00	4.75

उधारी

5.62 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ली गई बकाया उधारी में वर्ष 2005-06 के दौरान 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि किराया खरीद कंपनियों की उधारियों में तेजी से वृद्धि हुई, सभी अन्य श्रेणियों की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधारियों में कमी आई। इसके फलस्वरूप, सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधारियों में किराया खरीद कंपनियों की उधारी का अंश मार्चांत 2005 के 58.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्चांत 2006 में 82.6 प्रतिशत हो गया (सारणी V.23)।

5.63 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से और डिबेंचरों के जरिए ली गई उधारी में वर्ष 2005-06 के दौरान क्रमशः 26.5 प्रतिशत और 17.1 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। बाहरी स्रोतों से ली गई उधारी में भी 21.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, सरकार से और स्रोतों से ली गई उधारी में वर्ष 2005-06 में तीव्र गिरावट आई। सरकार से ली गई उधारी दक्षिणी क्षेत्र में कार्यरत एक राज्य के स्वामित्व वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित है। किराया खरीद कंपनियों द्वारा ली गई उधारी में तेजी से वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण बैंकों और वित्तीय संस्थाओं एवं डिबेंचरों के जरिए उधार लेना था। उपकरण लीजिंग कंपनियों द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ली गई उधारी में वृद्धि हुई लेकिन डिबेंचरों के जरिए ली गई उधारी में तेजी से कमी आई (सारणी V.24)।

सारणी V.23: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा समूहवार उधारी

(राशि करोड़ रुपए)

गै.बैं.कं. समूह	मार्च के अंत में				प्रतिशत अंतर
	गै.बैं.वि.कं. की संख्या		कुल उधारी		
	2005	2006	2005	2006	2005-06
1	2	3	4	5	6
1. उपस्कर पट्टा	40	35	3,112 (13.5)	2,306 (9.8)	-25.9
2. किराया खरीद	336	312	13,385 (58.1)	19,516 (82.6)	45.8
3. निवेश	5	5	1,092 (4.7)	697 (2.9)	-36.1
4. ऋण	69	34	4,656 (20.2)	1,035 (4.4)	-77.8
5. अन्य	250	77	799 (3.5)	86 (0.4)	-89.2
कुल (1से 5)	**700**	**463**	**23,044 (100.0)**	**23,641 (100.0)**	**2.6**

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल उधारी का प्रतिशत हैं।

सारणी V.24: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के उधारी के स्रोत

(राशि करोड़ रुपए)

गैर बैं.वि.कं. समूह	मार्च के अंत में											
	सरकार		बाह्य		बैंक और वित्तीय संस्थाएँ		डिबेंचर		अन्य		कुल	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. उपस्कर पट्टा	–	–	190	284 (49.5)	1,252	1,402 (12.0)	1,219	338 (-72.3)	451	282 (-37.4)	3,112	2,306 (-25.9)
2. किराया खरीद	1	–	320	337 (5.4)	4,298	7,322 (70.4)	4,707	6,914 (46.9)	4,059	4,943 (21.8)	13,385	19,516 (45.8)
3. निवेश	885	533 (-39.7)	–	–	10	– (-)	12	9 (-25.6)	185	155 (-16.3)	1,092	697 (-36.1)
4. ऋण	86	–	–	–	1,377	68 (-95.0)	1,038	910 (-12.4)	2,155	57 (-97.3)	4,656	1,035 (-77.8)
5. अन्य	–	–	–	–	17	4 (-76.5)	–	– (-)	782	82 (-89.5)	799	86 (-89.2)
कुल (1 से 5)	**972**	**533 (-45.2)**	**510**	**621 (21.8)**	**6,954**	**8,796 (26.5)**	**6,976**	**8,171 (17.1)**	**7,632**	**5,519 (-27.7)**	**23,044**	**23,641 (2.6)**

– : शून्य / नगण्य

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन के द्योतक हैं।

सारणी V.25: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों के मुख्य समूहवार घटक

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

गैर-बैं.वि.कं. समूह	आस्तियां		अग्रिम		निवेश	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
1. उपस्कर पट्टा	4,727	3,489	3,877	3,142	333	365
	(13.1)	(9.8)	(13.1)	(10.2)	(8.4)	(10.2)
2. किराया खरीद	20,500	28,682	18,670	25,527	1,288	2,014
	(56.9)	(80.7)	(63.2)	(83.0)	(32.6)	(56.1)
3. निवेश	1,890	1,610	1,061	620	788	968
	(5.2)	(4.5)	(3.6)	(2.0)	(19.9)	(27.0)
4. ऋण	6,964	1,377	4,785	1,204	1,033	126
	(19.3)	(3.9)	(16.2)	(3.9)	(26.1)	(3.5)
5. अन्य@	1,922	404	1,149	265	515	116
	(5.3)	(1.1)	(3.9)	(0.9)	(13.0)	(3.2)
कुल (1 से 5)	**36,003**	**35,561**	**29,542**	**30,757**	**3,957**	**3,589**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

@ : इसमें निधियां, एमएनबीसी तथा एमबीसी शामिल है।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : रिपोर्टिंग गैर बैं.वि. कंपनियों का वार्षिक विवरण ।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियां

5.64 वर्ष 2005-06 के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सभी समूहों की आस्तियों में कमी आई जब कि किराया खरीद कंपनियों की आस्तियों में तेजी से वृद्धि हुई। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों में सबसे बड़ा अंश (80.7 प्रतिशत) किराया खरीद कंपनियों का था, उसके बाद उपकरण लीज़िंग कंपनियों (9.8 प्रतिशत) निवेश कंपनियों (4.5 प्रतिशत) और ऋण कंपनियों (3.9 प्रतिशत) का स्थान था। इससे मोटे तौर पर अग्रिमों का स्वरूप दिखाई देता है जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सबसे बड़ी मद होती है। मार्चांत 2006 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निवेश में कमी आई। इसका मुख्य कारण ऋण कंपनियों द्वारा किए गए निवेश में तीव्र गिरावट आना था। वर्ष के दौरान उपकरण लीजिंग कंपनियों, किराया खरीद कंपनियों और निवेश कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई (सारणी V.25)।

आस्ति आकार के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वर्गीकरण

5.65 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का आकार बहुत ही भिन्न होता है, और वे 25 लाख रुपए से कम से लेकर 500 करोड़ रुपए से अधिक के बीच होती हैं। सूचना देनेवाली कंपनियों की संख्या में आई कमी (मार्चांत 2005 की 774 से घटकर मार्चांत 2006 में 463) का मुख्य कारण सभी आस्तियों के दायरे वाली कंपनियों की संख्या में कमी आना था। आस्ति धारिता का स्वरूप विषम बना रहा। मार्चांत 2006 में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों का 88.3 प्रतिशत अंश '100 करोड़ रुपए और उससे अधिक' आस्ति आकार वाली चौबीस कंपनियों के पास था, जबकि शेष 439 कंपनियों के पास कुल आस्तियों का 8.0 प्रतिशत से कम अंश था (सारणी V.26)।

सारणी V.26: आस्ति आकार के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी

(राशि करोड़ रुपए)

आस्ति आकार	मार्च के अंत में			
	सूचना देने वाली कंपनियों की सं.		आस्तियां	
	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5
1. 0.25 से कम	63	29	7	3
			(-)	(-)
2. 0.25 से अधिक और 0.50 तक	66	34	24	12
			(0.1)	(-)
3. 0.50 से अधिक और 2 तक	258	187	284	219
			(0.8)	(0.6)
4. 2 से अधिक और 10 तक	185	132	816	597
			(2.3)	(1.7)
5. 10 से अधिक और 50 तक	77	49	1,865	1,185
			(5.2)	(3.3)
6. 50 से अधिक और 100 तक	18	8	1,216	584
			(3.4)	(1.6)
7. 100 से अधिक और 500 तक	16	11	3,119	1,920
			(8.7)	(5.4)
8. 500 से अधिक	17	13	28,672	31,042
			(79.6)	(87.3)
कुल (1 से 8)	**700**	**463**	**36,003**	**35,561**
			(100.0)	**(100.0)**

– : शून्य/ नगण्य
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का वर्गीकरण - कार्यकलाप के प्रकार

5.66 वर्ष के दौरान किराया खरीद के रुप में धारित आस्तियों में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अन्य व्यावसायिक कार्यकलापों में धारित आस्तियों में कमी आई। किराया खरीद के रूप में धारित आस्तियों का अंश सबसे अधिक (55.9 प्रतिशत) था। इसके बाद ऋण और अंतर-कंपनी जमाराशि (25.9 प्रतिशत) निवेश (10.1 प्रतिशत) और उपकरण लीज़िंग (1.7 प्रतिशत) का स्थान था (सारणी V.27)।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और लघु वित्त

5.67 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार जमाराशि स्वीकार न करने वाली 10 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को लघु वित्त प्रदान करने का कारोबार कर रही थीं। इन लघु वित्त संस्थाओं (एमएफआई) ने 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार 2,49,042 स्वयं सहायता समूहों को वित्त प्रदान किया था जिनकी कुल बकाया राशि 459 करोड़ रुपए थी। इसकी तुलना में, 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार 1,39,292 स्वयं सहायता समूहों को वित्त प्रदान किया गया जिसमें 178 करोड़ रुपए की राशि शामिल थी। वर्ष 2005-06 के दौरान, लघु वित्त संस्थाओं ने 1,37,082 स्वयं सहायता समूहों (2004-05 में 43,606) को वित्तीय सहायता प्रदान की और कुल मिलाकर 1,084 करोड़ रुपए (2004-05 में 571 करोड़ रुपए) की राशि वितरित करके 89.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय निष्पादन

5.68 वर्ष 2005-06 के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय निष्पादन में रुकावट आई। जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अर्जित आय में थोड़ी कमी आई, उनके व्यय में तेजी से वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप,

सारणी V.27: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की आस्तियों का कार्यकलापवार वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपए)

कार्यकलाप	मार्च के अंत में		प्रतिशत अंतर	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1. ऋण और अंतर - कंपनी जमा	12,749 (35.4)	9,199 (25.9)	3.1	-27.8
2. निवेश	3,957 (11.0)	3,589 (10.1)	3.6	-9.3
3. किराया खरीद	14,400 (40.0)	19,893 (55.9)	23.6	38.1
4. उपस्कर और पट्टा	790 (2.2)	622 (1.7)	-29.2	-21.3
5. बिल	471 (1.3)	45 (0.1)	8.0	-90.5
6. अन्य आस्तियाँ	3,636 (10.1)	2,214 (6.2)	7.7	-39.1
कुल (1 से 6)	**36,003 (100.0)**	**35,561 (100.0)**	**9.9**	**-1.2**

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

सारणी V.28: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का वित्तीय कार्य निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद			प्रतिशत अंतर	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**4,582 (100.0)**	**4,578 (100.0)**	**5.8**	**-0.1**
i) निधि आधारित	4,208 (91.8)	4,433 (96.8)	5.1	5.3
ii) शुल्क आधारित	374 (8.2)	145 (3.2)	14.4	-61.2
ख. व्यय (i+ii)	**3,657 (100.0)**	**4,134 (100.0)**	**1.0**	**13.0**
i) वित्तीय	2,168 (59.3)	2,174 (52.6)	3.3	0.3
जिसमें से :				
ब्याज भुगतान	783 (21.4)	– (-)	-11.8	–
ii) परिचालन	1,489 (40.7)	1,960 (47.4)	-31.4	31.6
ग. कर प्रावधान	**353**	**291**	**96.1**	**-17.6**
घ. परिचालन लाभ (करपूर्व लाभ)	**924**	**443**	**30.0**	**-52.1**
ड. निवल लाभ (करोत्तर लाभ)	**572**	**152**	**7.7**	**-73.4**
च. कुल आस्तियाँ	**36,003**	**35,561**	**9.9**	**-1.2**
छ. वित्तीय अनुपात*				
i) आय	12.7	12.9		
ii) निधि आय	11.7	12.5		
iii) शुल्क आय	1.0	0.4		
iv) व्यय	10.2	11.6		
v) वित्तीय व्यय	6.0	6.1		
vi) परिचालन व्यय	4.1	5.5		
vii) कर प्रावधान	1.0	0.8		
viii) निवल लाभ	1.6	0.4		
ज. आय अनुपात लागत	**79.8**	**90.3**		

* : कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।
– : शून्य / नगण्य
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

परिचालन लाभ और निवल लाभ में कमी आई। इससे बड़ी मात्रा में, आय के अनुपात की तुलना में लागत में तेजी से गिरावट (2004-05 के 79.8 प्रतिशत से 2005-06 में 90.3 प्रतिशत) परिलक्षित होती है (सारणी V.28)।

5.69 वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान, यद्यपि आस्तियों के प्रतिशत के रुप में आय सामान्यतया अपरिवर्तित बनी रही, तथापि, व्यय (प्रावधान सहित) में कमी आई, जिसके फलस्वरूप आस्ति अनुपात की तुलना में निवल लाभ में बढ़ोतरी हुई। तथापि वर्ष 2004-05 में यह प्रवृत्ति रुक गई और वर्ष 2005-06 में बदल गई (चार्ट V.3)।

मजबूती के संकेतक

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता

5.70 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के दौरान सूचना देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सकल अनर्जक आस्तियों (सकल अग्रिमों

चार्ट V.3: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय निष्पादन

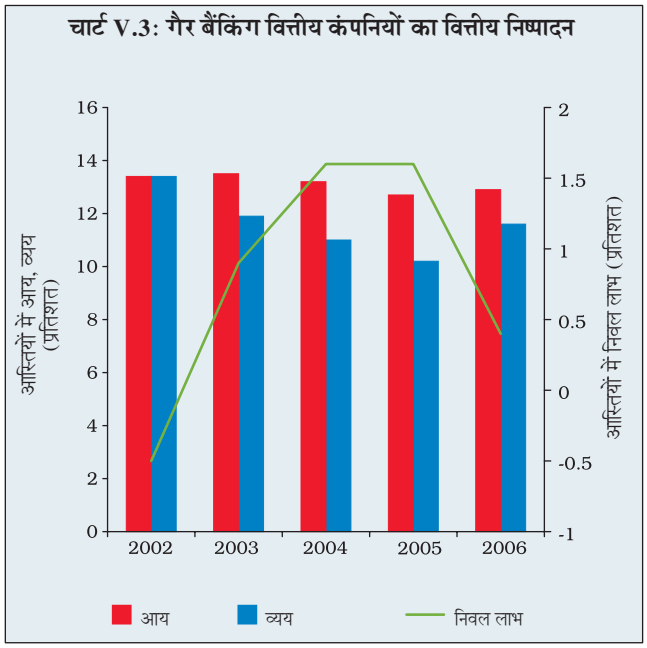

के प्रतिशत के रूप में) और निवल अनर्जक आस्तियों (निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में) में तेजी से गिरावट आई (सारणी V.29)।

5.71 वर्ष 2005-06 के दौरान उपकरण लीजिंग और किराया खरीद कंपनियों की सकल एवं निवल अनर्जक आस्तियों में कमी आई, जबकि ऋण कंपनियों की सकल अनर्जक आस्तियों में तेज वृद्धि हुई (सारणी V.30)।

सारणी V.29: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की अनर्जक आस्तियां*

(प्रतिशत)

मार्च के अंत में	सकल अग्रिमों की तुलना में अनर्जक आस्तिया	निवल अग्रिमों की तुलना में अनर्जक आस्तियां
1	2	3
2001	11.5	5.6
2002	10.6	3.9
2003	8.8	2.7
2004	8.2	2.4
2005	5.7	2.5
2006	2.4	0.4

* : एमबीएफसी, एमबीसी और एमएनबीसी को छोड़ कर।

5.72 उपकरण लीज़िग कंपनियों और किराया खरीद कंपनियों से संबंधित 'अवमानक' और 'संदिग्ध' श्रेणी वाली अनर्जक आस्तियों में, संपूर्णता और प्रतिशतता दोनों के संदर्भ में, कमी आई जबकि ऋण कंपिनयों के संबंध में उक्त श्रेणी वाली अनर्जक आस्तियों में तेजी से वृद्धि हुई (सारणी V.31)।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

5.73 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) संबंधी मानदंड 1998 में लागू किए गए जिसके अनुसार हरेक जमाराशि स्वीकारने वाली गैर बेंकिंग वित्तीय कंपनी से यह अपेक्षा की गई है कि वह तुलनपत्र के बाहर की

सारणी V.30: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की समूहवार अनर्जक आस्तियाँ

(राशि करोड़ रुपए)

गै.बैं.कं.वि. समूह मार्च के अंत में	सकल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ			निवल अग्रिम	निवल अनर्जक आस्तियाँ		
		राशि	सकल अग्रिम में प्रतिशत	जोखिम भारित आस्तियों में प्रतिशत		राशि	सकल अग्रिम में प्रतिशत	जोखिम भारित आस्तियों में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उपस्कर पट्टा								
2004	3,306	582	17.6	13.3	3,067	344	11.2	7.8
2005	4,187	514	12.3	11.0	4,018	345	8.6	7.4
2006	2,846	64	2.2	2.1	2,767	-16	-0.6	-0.5
किराया खरीद								
2004	10,437	942	9.0	7.3	9,748	253	2.6	2.0
2005	15,900	610	3.8	3.6	15,544	253	1.6	1.5
2006	21,984	421	1.9	1.8	21,628	64	0.3	0.3
निवेश								
2004	63	15	23.8	2.6	55	7	12.7	1.2
2005	58	10	17.2	1.8	58	10	17.2	1.8
2006	59	–	–	–	59	–	–	–
ऋण								
2004	2,038	142	7.0	4.1	1,833	-63	-3.4	-1.8
2005	1,955	117	6.0	5.1	1,772	-65	-3.7	-2.8
2006	549	135	24.6	11.0	474	60	12.6	4.9

– : शून्य / नगण्य

स्रोत : रिपोर्टिंग गै.बं.वि. कंपनियों की छमाही विवरणियां।

सारणी V.31: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का समूहवार वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपए)

गै.बैं.वि. कंपनी समूह/ मार्च के अंत म	मानक आस्तियां		अवमानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां		सकल अनर्जक आस्तियां		सकल अग्रिम
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उपस्कर पट्टा											
2004	2,724	82.4	396	12.0	84	2.5	102	3.1	582	17.6	3,306
2005	3,673	87.7	383	9.2	91	2.2	39	0.9	514	12.3	4,187
2006	2,782	97.8	10	0.4	20	0.7	33	1.2	64	2.2	2,845
किराया खरीद											
2004	9,495	91.0	613	5.9	103	1.0	226	2.2	942	9.0	10,437
2005	15,290	96.2	386	2.4	130	0.8	94	0.6	610	3.8	15,900
2006	21,564	98.1	307	1.4	29	0.1	84	0.4	421	1.9	21,984
निवेश											
2004	48	75.8	–	–	10	15.3	6	8.9	15	23.8	63
2005	48	82.0	1	1.1	10	16.7	–	–	10	17.2	58
2006	59	100.0	–	–	–	–	–	–	–	–	59
ऋण											
2004	1,896	93.0	40	2.0	20	1.0	82	4.0	142	7.0	2,038
2005	1,837	94.0	14	0.7	42	2.2	61	3.1	117	6.0	1,955
2006	414	75.4	18	3.3	80	14.6	37	6.7	135	24.6	549

– : शून्य / नगण्य।

स्रोत : रिपोर्टिंग गै.बैं.वि. कंपनियों की छमाही विवरणियां।

मदों की अपनी कुल जोखिम भारित आस्तियों और जोखिम समायोजित मूल्य के 12 प्रतिशत से अन्यून (अरेटित जमाराशि स्वीकारने वाली ऋण/निवेश कंपनियों के मामले में 15 प्रतिशत) की न्यूनतम पूंजी, टियर I और टियर II सहित, बनाए रखे। कुल टियर II पूंजी, किसी भी समय टियर I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 12 प्रतिशत के न्यूनतम विनियामक सीआरएआर वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या मार्चांत 2005 की 64 से घटकर 19 हो गई (सारणी V.32)। मार्चांत 2006 में 322 में से 303 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का सीआरएआर मार्चांत 2005 के 413 में से 349 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तुलना में 12 प्रतिशत और उससे अधिक था। 30 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या मार्चांत 2005 की 280 से घटकर मार्चांत 2006 में 252 हो गई।

सारणी V.32 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात*

(राशि करोड़ रुपए में)

दायरा	मार्च के अंत में							
	2005				2006			
	उ.प.	कि.ख.ऋण कं./नि.क.		कुल	उ.प.	कि.ख.ऋण कं./नि.क.		कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 9 प्रतिशत से कम	4	53	6	63	6	10	3	19
2. 9 प्रतिशत से अधिक किंतु 12 प्रतिशत से कम	0	1	0	1	–	–	–	–
3. 12 प्रतिशत से कम (1+2)	4	54	6	64	6	10	3	19
4. 12 प्रतिशत से अधिक किंतु 15 प्रतिशत से कम	0	1	1	2	–	3	–	3
5. 15 प्रतिशत से अधिक किंतु 20 प्रतिशत से कम	3	19	4	26	–	10	–	10
6. 20 प्रतिशत से अधिक किंतु 30 प्रतिशत से कम	6	32	3	41	5	30	3	38
7. 30 प्रतिशत और उससे अधिक	28	219	33	280	22	211	19	252
कुल (3 से 7)	**41**	**325**	**47**	**413**	**33**	**264**	**25**	**322**

– : शून्य/ नगण्य * : एमबीएफसी, एमबीसी और एमएनबीसी को छोड़कर।

टिप्पणी : 1. उप - उपस्कर पट्टा
2. कि.ख. - किराया खरीद
3. ऋण कं./नि.क. - ऋण कंपनी / निवेश कंपनी

सारणी V.33 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधि की तुलना में समूहवार जनता जमाराशि *

(राशि करोड़ रुपए)

गै.बैं.कं.वि. समूह	निवल स्वाधिकृत निधियां		जनता जमाराशियां		निवल स्वाधिकृत निधि की तुलना में जनता जमाराशियों का अनुपात	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
1. उपस्कर पट्टा	430	553	343	153	0.8	0.3
2. किराया खरीद	2,521	3,896	2,423	2,039	1.0	0.5
3. निवेश	662	766	94	81	0.1	0.1
4. ऋण	1,052	128	205	77	0.2	0.6
5. अन्य	371	138	861	317	2.3	2.3
कुल (1 से 5)	**5,036**	**5,481**	**3,926**	**2,667**	**0.8**	**0.5**

* : एमबीएफसी, एमबीसी और एमएनबीसी को छोड़कर।

5.74 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधि में (i) संचित हानि की राशि (ii) आस्थगित राजस्व व्यय और अन्य अमूर्त आस्तियों, यदि कोई हों, को घटाकर तथा (क) अनुषंगी कंपनियों (ख) उसी समूह की कंपनियों और (ग) अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक होने पर) के शेयरों में किए गए निवेश एवं ऋण और अग्रिमों को समायोजित करने के बाद उपलब्ध चुकता पूंजी और मुक्त रिज़र्व शामिल हैं। निवल स्वाधिकृत निधियों से संबंधित सूचना जोखिम आस्ति अनुपात में पूंजी सीआरएआर संबंधी सूचना की संपूरक हो सकती है। मार्चांत 2006 से उपकरण लीजिंग और किराया खरीद कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधि में जनता से प्राप्त जमाराशि के अनुपात में कमी आई जबकि ऋण कंपनियों के संबंध में उसमें वृद्धि हुई सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधि की तुलना में जनता से प्राप्त जमाराशियों का अनुपात मार्चांत 2006 में 0.5 प्रतिशत रहा जबकि मार्चांत 2005 में यह 0.8 प्रतिशत था (सारणी V.33)।

5.75 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधि '25 लाख रुपए से कम से लेकर 500 करोड़ रुपए से अधिक' के दायरे में है। '10 लाख रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक' के दायरे वाली निवल स्वाधिकृत निधि के गुणज के रूप में जनता से प्राप्त जमाराशियों में वृद्धि हुई लेकिन अन्य दायरे वाली जमाराशियों में कमी आई। 500 करोड़ रुपए से अधिक के दायरे की निवल स्वाधिकृत निधियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में निवल स्वाधिकृत निधि के गुणज के रूप में जनता से प्राप्त जमाराशियों सबसे कम थीं (सारणी V.34) ।

शेष गैर बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी)

5.76 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के दौरान तीन शेष गैर बैंकिंग कंपनियों की आस्तियों में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बैंकों में सावधि

सारणी V.34: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधि की तुलना में जनता जमाराशियों का दायरा*

(राशि करोड़ रुपए)

निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा	मार्च के अंत में							
	2005				2006			
	सूचना देनेवाली कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	जनता जमा	जनता जमा निवल स्वाधिकृत निधि के गुणक में	सूचना देनेवाली कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	जनता जमा	जनता जमा निवल स्वाधिकृत निधि के गुणक में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 0.25 तक	154	-714	587	–	54	-512	128	–
2. 0.25 से अधिक और 2 तक	396	252	472	1.9	295	210	221	1.1
3. 2 से अधिक और 10 तक	99	425	394	0.9	76	333	263	0.8
4. 10 से अधिक और 50 तक	32	716	490	0.7	23	535	519	1.0
5. 50 से अधिक और 100 तक	5	381	158	0.4	3	224	5	–
6. 100 से अधिक और 500 तक	12	2595	1067	0.4	8	1,981	875	0.4
7. 500 से अधिक	2	1381	758	0.5	4	2,709	658	0.2
कुल (1 से 7)	**700**	**5,036**	**3,926**	**0.8**	**463**	**5,481**	**2,667**	**0.5**

– : शून्य/ नगण्य
* : एमबीएफसी, एमबीसी और एमएनबीसी को छोड़कर।

जमा राशियों और अभारग्रस्त अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में उनकी आस्तियों में तेजी से वृद्धि हुई, जबकि बांडों / डिबेंचरों और अन्य निवेश में क्रमशः 3.8 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2005-06 के दौरान शेष गैर बैंकिंग कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियों में 11.1 की प्रतिशत वृद्धि हुई (सारणी V.35)।

5.77 वर्ष 2005-06 के दौरान शेष गैर बैंकिंग कंपनियों की आय में वृद्धि व्यय में हुई वृद्धि से अधिक थी, जिसके फलस्वरूप शेष गैर बैंकिंग कंपनियों के परिचालनगत लाभ में वृद्धि हुई। उस वजह से और कर प्रावधानों में आई तेज कमी की वजह से निवल लाभ में तेजी से वृद्धि हुई।

शेष गैर बैंकिंग कंपनियों की जमाराशियों का क्षेत्रीय स्वरूप

5.78 तीन शेष गैर बैंकिंग कंपनियों मे से दो पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता) और एक केन्द्रीय क्षेत्र में स्थित है। जबकि पूर्वी क्षेत्र की शेष गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित जनता से प्राप्त जमाराशियों में मार्च 2006 को समाप्ति वर्ष के दौरान तेजी से कमी आई, वहीं केन्द्रीय क्षेत्र में धारित जनता से प्राप्त जमाराशियों में भारी वृद्धि हुई। चार महानगरों में से केवल एक महानगर अर्थात् कोलकाता से शेष गैर बैंकिंग कंपनियों ने जनता से प्राप्त जमाराशियां धारित की थीं (सारणी V.36)।

शेष गैर बैंकिंग कंपनियों का निवेश पैटर्न

5.79 शेष गैर बैंकिंग (रिज़र्व बैंक) दिशा-निदेश, 1987 में निर्धारित शेष गैर बैंकिंग कंपनियों के निवेश पैटर्न की समीक्षा की गई और उसे 31 मार्च 2006 को संशोधित किया गया। जमाकर्ताओं के प्रति कुल देयताओं (एएलडी) को दो शीर्षों, नामतः 31 दिसंबर 2005 को मौजूदा एएलडी और वृद्धिशील एएलडी में विभाजित किया गया है। वृद्धिशील एएलडी जमाकर्ता के प्रति वे देयताएं हैं जो 31 दिसंबर 2005 की स्थिति के अनुसार जमाकर्ता के प्रति देयताओं की कुल राशि से अधिक हो गई हैं। शेष गैरबैंकिंग कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे 1 अप्रैल 2006 से, 31 दिसंबर 2005 को मौजूदा एएलडी के 95 प्रतिशत से अन्यून राशि और वृद्धिशील एएलडी की संपूर्ण राशि निर्धारित तरीके से निवेश करें। यह भी सूचित किया गया था कि 1 अप्रैल 2007 से एएलडी की संपूर्ण राशि केवल निदेशित निदेशों में ही निवेश करें और शेष गैर

सारणी V.35: अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों का प्रोफाइल

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		अंतर 2005-06	
	2005	2006	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आस्ति (i से v)	**19,057**	**21,891**	**2,834**	**14.9**
(i) अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	2,037	2,346	309	15.2
(ii) बैंकों में सावधि जमा	4,859	6,070	1,211	24.9
(iii) सरकारी कंपनी / सरकारी क्षेत्र बैंक / सरकारी वित्त संस्था/निगम के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र	9,225	9,577	352	3.8
(iv) अन्य निवेश	1,639	1,658	19	1.2
(v) अन्य आस्तियाँ	1,297	2,240	943	72.7
ख. निवल स्वाधिकृत निधि	**1,065**	**1,183**	**118**	**11.1**
ग. कुल आय (i से ii)	**1,532**	**1,620**	**88**	**5.7**
(i) निधि आय	1,530	1,616	86	5.6
(ii) शुल्क आय	2	3	1	50.0
घ. कुल व्यय (i से iii)	**1,396**	**1,439**	**43**	**3.1**
(i) वित्तीय लागत	1,176	1,165	-11	-0.9
(ii) परिचालन लागत	146	159	13	8.9
(iii) अन्य लागत	74	115	41	55.4
ङ. कराधान के लिए प्रावधान	**48**	**22**	**-26**	**-54.2**
च. परिचालन लाभ (कर पूर्व लाभ)	**136**	**180**	**44**	**32.4**
छ. निवल लाभ (करोत्तर लाभ)	**88**	**158**	**70**	**79.5**

सारणी V.36: अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित क्षेत्रवार जनता जमाराशियां

(राशि करोड़ रुपए)

क्षेत्र	मार्च के अंत में			
	2005		2006	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
1. उत्तरी	–	–	–	–
2. उत्तर पूर्वी	–	–	–	–
3. पूर्वी	2	5,070 (30.5)	2	4,614 (22.9)
4. मध्य	1	11,530 (69.5)	1	15,561 (77.1)
5. पश्चिमी	–	–	–	–
6. दक्षिणी	–	–	–	–
कुल (1 से 6)	**3**	**16,600 (100.0)**	**3**	**20,175 (100.0)**
महानगरी क्षेत्र				
1. मुंबई	–	–	–	–
2. चेन्नै	–	–	–	–
3. कोलकाता	2	5,070	2	4,614
4. नई दिल्ली	–	–	–	–
कुल (1 से 4)	**2**	**5,070**	**2**	**4,614**

– : शून्य / नगण्य
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

बैंकिंग कंपनियों को विवेकाधिकार के अंतर्गत निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.80 वर्ष 2005-06 के दौरान जमाकर्ताओं के प्रति कुल देयताओं में 21.5 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 2005-06 के दौरान एएलडी के अभिनियोजन का पैटर्न मोटे तौर पर यथावत बना रहा (सारणी V.37)।

जनता से जमाराशियां स्वीकार न करने वाली और 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

5.81 जैसा कि इस अध्याय के आरंभिक भाग में कहा गया है, 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सितंबर 2005 से एक मासिक विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। जून 2006 को समाप्त तिमाही के लिए 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली 149 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से प्राप्त विवरणियां उनकी देयताओं/आस्तियों में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। बड़े आकार वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए गैर जमानती ऋण एक मात्र सबसे बड़ा संसाधन थे, उसके बाद जमानती ऋण का स्थान था (सारणी V.38)।

उधारी

5.82 बड़े आकारवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उधारियां, निधियों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत थीं। जून 2006 को

सारणी V.37: अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों का निवेश ढाँचा

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		जमाकर्ताओं के प्रति कुल देयताओं में प्रतिशत	
	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5
क. जमाकर्ताओं के प्रति सकल देयताएं	**16,600**	**20,175**	**100.0**	**100.0**
ख. निवेश (i से iv)	**17,759**	**19,651**	**107.0**	**97.4**
जिसमें से :				
i) अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	2,036	2,346	12.3	11.6
ii) बैंकों में सावधि जमा	4,859	6,070	29.3	30.1
iii) सरकारी कं. / सरकारी क्षेत्र बैंक / सरकारी वित्तीय संस्था / निगम के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र	9,225	9,577	55.6	47.5
iv) अन्य निवेश	1,639	1,658	9.9	8.2

समाप्त तिमाही के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल उधारियां (जमानती और गैर जमानती) 5.4 प्रतिशत बढ़कर 1,83,956 करोड़ रुपए हो गई जो उनकी कुल देयताओं का 67.4 प्रतिशत थीं (सारणी V.39)।

सारणी V.38: बड़ी आकारवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की देयताएँ *

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	समाप्त तिमाही			
	मार्च 2006		जून 2006	
	राशि	कुल आस्ति में प्रतिशत	राशि	कुल आस्ति में प्रतिशत
1	2	3	4	5
कुल देयताएँ	**2,50,765**	**100.0**	**2,73,149**	**100.0**
जिसमें से :				
i) प्रदत्त पूंजी	17,548	7.0	17,340	6.3
ii) अधिमान शेयर	1,633	0.7	1,682	0.6
iii) रिज़र्व और अधिशेष	39,100	15.6	42,903	15.7
iv) जमानती ऋण	71,509	28.5	71,769	26.3
v) बेजमानती ऋण	1,03,086	41.1	1,12,187	41.1

* : 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की आस्ति आकारवाली जनता जमा राशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां।

सारणी V.39: बड़ी आकारवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्राप्त उधारी*

(राशि करोड़ रुपए)

मद	समाप्त तिमाही			
	मार्च 2006		जून 2006	
	राशि	कुल उधारी में प्रतिशत	राशि	कुल उधारी में प्रतिशत
1	2	3	4	5
क) जमानती उधारी (i से vi)	**71,509**		**71,769**	
i) डिबेंचर	39,179	22.4	24,405	13.3
ii) आस्थगित ऋण	–	–	–	–
iii) बैंकों से प्राप्त सावधि ऋण	16,116	9.2	15,875	8.6
iv) वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सावधि ऋण	6,997	4.0	6,568	3.6
v) अन्य	8,612	4.9	24,434	13.3
vi) उपचित ब्याज	604	0.3	487	0.3
ख) बेजमानती उधारी (i से viii)	**1,03,086**		**1,12,187**	
i) संबंधियों से ऋण	1,639	0.9	3,129	1.7
ii) अंतर कंपनी जमाराशि	19,459	11.1	21,225	11.5
iii) बैंकों से प्राप्त ऋण	28,276	16.2	27,392	14.9
iv) वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण	3,703	2.1	3,677	2.0
v) वाणिज्यिक पत्र	13,123	7.5	15,409	8.4
vi) डिबेंचर	20,788	11.9	20,763	11.3
vii) अन्य	15,402	8.8	19,961	10.9
viii) ऋण पर उपचित ब्याज	697	0.4	630	0.3
कुल उधार (क+ख)	**1,74,595**	**100.0**	**1,83,956**	**100.0**
ज्ञापन				
कुल देयताएं	**2,50,765**	**69.6**	**2,73,149**	**67.4**

– : शून्य/ नगण्य

* : 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की आस्ति आकारवाली जनता जमा राशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां।

निधियों का उपयोग

5.83 वर्ष 2005-06 को समाप्त तिमाही के दौरान बड़े आकार वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निधियों के उपयोग में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। जमानती ऋण के अंश में जबकि भारी वृद्धि हुई, गैर जमानती ऋण के अंश में कमी आई (सारणी V.40)।

सारणी V.40 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निधियों के उपयोग से संबंधित चुनिंदा संकेतक*

(राशि करोड़ रुपए)

मद	समाप्त तिमाही			
	मार्च 2006		जून 2006	
	राशि	निधि के कुल उपयोग में प्रतिशत	राशि	निधि के कुल उपयोग में प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. जमानती ऋण *	63,120	29.2	89,441	37.0
2. बेजमानती ऋण *	82,996	38.4	70,809	29.3
3. किराया खरीद	22,613	10.5	23,202	9.6
4. दीर्घावधि निवेश	30,817	14.3	32,763	13.5
5. चालू निवेश	16,665	7.7	25,627	10.6
कुल (1 से 5)	**2,16,211**	**100.0**	**2,41,842**	**100.0**
ज्ञापन मद :				
पूंजी बाजार जोखिमपूर्ण निवेश	59,583	27.6	68,053	28.1
जिसमें से :				
इक्विटी बाजार	27,467	12.7	29,321	12.1

* : 100 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकारवाली जनता जमा राशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां।

वित्तीय निष्पादन

5.84 जून 2006 को समाप्त तिमाही के दौरान बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारी मात्रा में 2,682 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया जो 2005-06 के पूरे वर्ष के दौरान अर्जित लाभ का 62.4 प्रतिशत था (सारणी V.41)।

सारणी V.41: बड़ी आकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय निष्पादन *

(राशि करोड़ रुपए)

मद	समाप्त तिमाही			
	मार्च 2006		जून 2006	
	राशि	कुल आस्ति में प्रतिशत	राशि	कुल आस्ति में प्रतिशत
1	2	3	4	5
कुल आय	**2,50,765**	**100.0**	**2,73,149**	**100.0**
निवल लाभ	18,342	7.3	7,640	2.8
कुल आस्तियां	11,874	4.7	3,900	1.4
निवल लाभ	4,301	1.7	2,682	1.0

* : 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की आस्ति आकारवाली जनता जमा राशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां।

5.85 जून 2006 के अंत में बड़े आकार वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सकल और निवल अनर्जक आस्तियां कुल आस्तियों का क्रमशः 2.5 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत थीं (सारणी V.42)।

सारणी V.42: बड़ी आकार वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सकल और निवल अनर्जक आस्तियां*

(प्रतिशत)

मद	मार्च 2006 के अंत में	जून 2006 के अंत में
1	2	3
1. कुल आस्तियों में सकल अनर्जक आस्तियां	4.3	2.5
2. कुल आस्तियों में निवल अनर्जक आस्तियां	1.5	1.3
3. कुल ऋण जोखिम में सकल अनर्जक आस्तियां	7.0	5.0
4. कुल ऋण जोखिम में निवल अनर्जक आस्तियां	3.2	1.9

* : 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की आस्ति आकारवाली जनता जमा राशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां।

4. प्राथमिक डीलर

5.86 भारत में प्राथमिक डीलर (पीडी) सन 1996 से कार्यरत हैं। प्राथमिक डीलर मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य ब्याज दर वाले लिखतों में लेनदेन करते हैं और भारत सरकार और राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रम में सहायता करते हैं। सरकारी प्रतिभूति बाजार, विशेषत, प्राथमिक बाजार में उनकी मुख्य भूमिका और मुद्रा बाजार में उनकी सहभागिता की दृष्टि से प्राथमिक डीलर वित्तीय प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं। मार्चांत 2006 की स्थिति के अनुसार 17 प्राथमिक डीलर कार्यरत थे। पांच बैंक नामतः सीटी बैंक एन.ए., स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका एवं जे.पी. मॉर्गन चेज़ बैंक को जिन्हें अपने समूहवाली संस्थाओं के ज़रिए प्राथमिक व्यापारिक कारोबार करने की अनुमति दी गई है।

नीतिगत गतिविधियां

5.87 प्राथमिक व्यापारी प्रणाली को मजबूत और विविध आयामी बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई नीतिगत उपाय किए हैं। भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के बैंकों को, जो पात्रता संबंधी कतिपय मानदंडों को पूरा करते हैं, विभागीय स्तर पर प्राथमिक व्यापारी संबंधी कारोबार करने की अनुमति दी गई है। 1 अप्रैल 2006 से भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों में रिज़र्व बैंक की सहभागिता को प्रतिबंधित कर देने के कारण प्राथमिक डीलरों के लिए बोली वायदा प्रणाली को सुधार कर हामीदारी वायदा प्रणाली के रूप में लागू किया गया (बॉक्स V.2)।

बॉक्स V.2: प्राथमिक डीलरों के लिए हामीदारी प्रतिबद्धता की संशोधित योजना

राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अनुसार 1 अप्रैल 2006 से सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में, अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, भारतीय रिज़र्व बैंक की सहभागिता पर रोक लगा दी गई थी। उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिसंबर 2004 में केन्द्र सरकार प्रतिभूति बाजार पर एक आंतरिक तकनीक दल गठित किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2005 में प्रस्तुत की। दल ने प्राथमिक निर्गमों की प्रक्रिया में प्राथमिक डीलरों की प्रतिबद्धता के लिए एक संशोधित प्रणाली लागू करके बोली प्रतिबद्धता की वर्तमान संस्थागत प्रक्रिया के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। दल की सिफारिशों के अनुसार एवं बाजार के सहभागियों के अनुसार एवं बाजार के सहभागियों के साथ हुई चर्चा के मद्देनजर अप्रैल 2006 में हामीदारी प्रतिबद्धता की एक संशोधित योजना तैयार की गई। प्राथमिक डीलरों को बोली प्रतिबद्धता और स्वैच्छिक हामीदारी की पूर्व आवश्यकताओं के बजाए संशोधित योजना के अंतर्गत हामीदारी प्रतिबद्धता की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। हामीदारी प्रतिबद्धता को दो भागों में विभाजित किया गया है जैसे i) न्यूनतम हामीदारी प्रतिबद्धता (एमयूसी), और (ii) अतिरिक्त स्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू)। न्यूनतम हामीदारी प्रतिबद्धता का परिकलन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्रत्येक निर्गम का कम से कम 50 प्रतिशत अनिवार्य रुप से प्राथमिक डीलरों की न्यूनतम हामीदारी प्रतिबद्धता की सकल राशि से कवर किया जाए। न्यूनतम हामीदारी प्रतिबद्धता सभी प्राथमिक डीलरों के लिए एक समान है, उनकी पूंजी और तुलनपत्र का आकार चाहे जितना भी हो। वर्तमान में प्राथमिक डीलरों की संख्या 17 होने के कारण प्रत्येक प्राथमिक डीलर के बारे में यह मान लिया जाएगा कि वह प्रत्येक नीलामी की अधिसूचित राशि की लगभग 3 प्रतिशत राशि की एमयूसी के रूप में हामीदारी देगा। अधिसूचित राशि का बकाया अंश हामीदारी नीलामियों के जरिए स्पर्धात्मक हामीदारी के लिए खुला रहेगा। प्रत्येक प्राथमिक डीलर के लिए अतिरिक्त स्पर्धात्मक हामीदारी में अधिसूचित राशि के कमसे कम 3.0 प्रतिशत और अधिक से अधिक 30 प्रतिशत तक बोली लगाना आवश्यक है। एसीयू नीलामियों में सफल हुई सभी बोलियों को नीलामी के नियमों के अनुसार कमीशन मिलता है। ऐसे प्राथमिक डीलर जो एसीयू निलामी में निर्गम की अधिसूचित राशि का 4.0 प्रतिशत और अधिक की बोली लगाने में सफल हो जाते हैं, उन्हें एसीयू में स्वीकारी गई सभी बोलियों के भारित औसत की दर से उनके एमयूसी में (लगभग 3.0 प्रतिशत) कमीशन मिलता है। अन्य बोलियों को एसीयू में तीन न्यूनतम बोलियों की भारित औसत दर से एमयूसी पर 3.0 प्रतिशत कमीशन प्राप्त होता है।

बॉक्स V.3: एकल प्राथमिक डीलरों द्वारा की जानेवाली गतिविधियों का विविधीकरण - परिचालनगत दिशा निदेश

प्राथमिक व्यापारियों को 4 जुलाई 2006 से सरकारी प्रतिभूतियों के अपने मौजूदा करोबार के अलावा विशिष्ट शर्तों के अधीन अपने कार्यकलापों को, जैसा वे उचित समझें, विविधीकृत करने की अनुमति दी गई है। इन दिशा-निदेशों की मुख्य विशेषताएं हैं - (i) अपने कार्यकलापों का विविधीकरण करने के इच्छुक प्राथमिक डीलरों की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां, अपने कार्यकलापों का विविधीकरण न करने वाले प्राथमिक व्यापारियों की 50 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों की तुलना में, 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। (ii) पात्र प्राथमिक डीलर अपने कार्यकलापों को मुख्य कार्यकलाप और मुख्येतर कार्यकलाप में विभाजित कर सकते हैं। मुख्य कार्यकलापों में सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य निर्धारित आय वाली प्रतिभूतियों से संबंधित लेनदेनों को शामिल किया जाए और मुख्येतर कार्यकलापों में इक्विटी उन्मुख परस्पर निधियां / सलाहकार सेवाओं / मर्चंट बैंकिंग की इक्विटी / युनिटों में निवेश / व्यापार और अन्य विनिर्दिष्ट कार्यकलापों को शामिल किया जा सकता है। तथापि, सभी प्राथमिक डिलरों के लिए यह आवश्यक है कि वे किसी भी समय सरकारी प्रतिभूतियों में अपने कुल वित्तीय निवेश का 50 प्रतिशत निवेश बनाए रखते हुए सरकारी प्रतिभूति के कारोबार में अपने निवेश की पूर्वप्रमुखता सुनिश्चित करें। (iii) मुख्येतर कार्यकलापों में एक्सपोज़र जोखिम पूंजी आबंटन के अधीन होगा। बाजार जोखिम के लिए प्राथमिक डीलर पूंजी प्रभार का परिकलन रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों पर आधारित आंतरिक मॉडलों (वीएआर आधारित) का उपयोग करने वाली इक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों की स्टॉक स्थिति / अंतर्निहित स्टॉक स्थिति / युनिटों के आधार पर कर सकते हैं। बाजार जोखिम के लिए इस प्रकार से परिकलित पूंजी प्रभार पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और (iv) प्राथमिक डीलरों को अपनी सहायक संस्थाएं स्थापित करने की अनुमति नहीं है। ऐसे प्राथमिक डीलर जिनकी पहले से ही (भारत में और विदेश में) ऐसी सहायक संस्थाएं हैं वे ऐसी संस्थाओं के स्वामित्व के स्वरूप का पुनर्गठन कर सकती हैं। यदि प्राथमिक डीलर किसी नियंत्रक कंपनी की सहायक संस्था है तो प्राथमिक डीलर की सहायक संस्था नियंत्रक कंपनी की सीधे दूसरी सहायक संस्था बन सकती है। यदि प्राथमिक डीलर स्वयं ही कोई नियंत्रक संस्था हो तो सहायक संस्था प्राथमिक डीलर के कार्यकलाप अपने हाथ में ले सकता है और नियंत्रक संस्था प्राथमिक डीलरों के लिए अनुमत कार्यकलापों से इतर कार्य सकती है। ऊपर बताए गए अनुसार पुनर्संरचना का कार्य 6 माह की अवधि में पूरा कर लिया जाना चाहिए।

5.88 अकेले प्राथमिक डीलर आय का पर्यायी जरिया उत्पन्न कर सकें, उस उद्देश्य से प्राथमिक डीलरों को अपने कार्यकलापों का विविधीकरण करने की अनुमति दी गई है (बॉक्स V.3)।

प्राथमिक डीलरों के कार्य और निष्पादन

5.89 वर्ष 2005-06 के दौरान खजाना बिलों की नीलामियों के लिए कुल मिलाकर प्राथमिक डीलरों के बोली वायदे 80,044 करोड़ रुपए की कुल निर्गम राशि के 125.0 प्रतिशत निर्धारित किए गए थे। प्राथमिक डीलरों के कुल वायदों की तुलना में उन्होंने 1,81,499 करोड़ रुपए अर्थात् निर्गम की 226.7 प्रतिशत की बोली लगाई। इनमें से 60,115 करोड़ रुपए की बोलियां स्वीकार की गईं। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में प्राथमिक डीलरों ने 99,100 करोड़ रुपए की बोली वायदा की तुलना में 621 करोड़ रुपए की अस्पर्धात्मक बोलियों सहित, 1,46,885 करोड़ रुपए की बोली लगाई। वर्ष के दौरान प्राथमिक डीलरों द्वारा प्राप्त सफलता 42.1 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान हामीदारों के रूप में प्राथमिक डीलरों ने प्राथमिक निर्गमों में 1,43,536 करोड़ रुपए की हामीदारी प्रस्तावित की थी, जिसमें से 90,590 करोड़ रुपए की बोलियां स्वीकार की गईं। वर्ष के दौरान प्राथमिक डीलरों के जिम्मे कोई राशि नहीं थी।

5.90 वर्ष 2005-06 के दौरान खजाना बिल की नीलामियों (एमएसएस सहित) में प्राथमिक डीलरों द्वारा प्राथमिक बाजार से की गई कुल खरीद का अंश वर्ष 2004-05 के दौरान रहे 63.0 प्रतिशत की तुलना में 34.0 प्रतिशत पर कम रहा। दिनांकित प्रतिभूतियों के संबंध में, वर्ष के दौरान प्राथमिक बाजार खरीद में प्राथमिक डीलरों का अंश पिछले वर्ष के 47.0 प्रतिशत की तुलना में 48.0 प्रतिशत दर पर थोड़ा सा अधिक रहा।

5.91 प्राथमिक डीलरों द्वारा द्वितीयक बाजार में की गई खजाना बिलों और सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों की कुल बिक्री क्रमशः 4,45,961 करोड़ रुपए और 15,28,148 करोड़ रुपए थी जो बाजार की कुल बिक्री का क्रमशः 29.4 प्रतिशत और 22.4 प्रतिशत थी।

निधियों के स्रोत और उपयोग

5.92 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राथमिक डीलरों की वित्तीय स्थिति में पिछले वर्ष की तीव्र कमी (30.5 प्रतिशत) के विपरित उल्लेखनीय वृद्धि (17.1 प्रतिशत) हुई। पूंजी में कमी के बावजूद, प्राथमिक डीलरों की निवल स्वाधिकृत निधियों में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निधियों के स्रोत के रूप में, ऋणों में तेजी से वृद्धि हुई। अभिनियोजन की तरफ, जहाँ सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश में थोड़ी कमी आई वहीं वाणिज्यिक पत्रों के निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (सारणी V.43)। मार्चांत 2006 में प्राथमिक डीलरों की कुल आस्तियों में सरकारी प्रतिभूतियों और खजाना बिलों का अंश मार्चांत 2005 के 71.5 प्रतिशत से घटकर 60.9 प्रतिशत हो गया (सारणी V.44 और परिशिष्ट सारणी V.5)

5.93 प्राथमिक डीलर पूर्णतया पूंजी संपन्न बने रहे। मार्चांत 2006 में 53.9 प्रतिशत पर प्राथमिक डीलरों का सीआरएआर समस्त जोखिम भारित आस्तियों के 15 प्रतिशत के न्यूनतम निर्धारण से काफी अधिक था (सारणी V.44)।

प्राथमिक डीलरों का वित्तीय निष्पादन

5.94 ब्याज और छूट में वृद्धि, व्यापारिक हानियों में भारी कमी और अन्य आय में तेजी से हुई वृद्धि के कारण वर्ष 2005-06 के दौरान प्राथमिक डीलरों द्वारा अर्जित आय में तीव्र वृद्धि हुई। जिन

सारणी V.43: प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2005	2006	प्रतिशत अंतर	
			2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
निधियों के स्रोत	**11,911**	**13,953**	**-30.5**	**17.1**
1. पूंजी	2,332	2,263	-0.9	-3.0
2. रिज़र्व और अधिशेष	3,334	3,843	-9.3	15.3
3. ऋण (क+ख)	6,245	7,847	-43.8	25.7
i) जमानती	2,445	3,480	47.8	42.3
ii) बेजमानती	3,800	4,367	-59.8	14.9
निधियों का उपयोग	**11,911**	**13,953**	**-30.5**	**17.1**
1. अचल आस्तियां	75	71	5.1	-5.3
2. निवेश (i से iii)	10,140	10,425	-37.8	2.8
i) सरकारी प्रतिभूति	8,521	8,495	-41.4	-0.3
ii) वाणिज्यिक पत्र	443	846	260.2	91.0
iii) कंपनी बांड	1,176	1,084	-42.8	-7.8
3. ऋण और अग्रिम	2,322	2,398	-9.5	3.3
4. गैर चालू आस्तियां	–	–	–	–
5. अन्य*	-626	1,059	-63.4	269.2

– : शून्य/ नगण्य

* : अन्य में नकदी तथा बैंक शेष, उपचित ब्याज और प्रावधान घटाकर आस्थगित कर, चालू देयताएं और प्रावधान शामिल हैं।

स्रोत : संबंधित प्राथमिक व्यापारी।

प्राथमिक डीलरों ने पिछले वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन में 700 करोड़ रुपए की हानि सूचित की थी, उन्होंने ऐसी

सारणी V.44: प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में	
	2005	2006
1	2	3
कुल आस्तियां*	**11,911**	**13,953**
जिनमें से :		
1. सरकारी प्रतिभूतियां एवं खजाना बिल	8,521	8,495
2. कुल पूंजीगत निधि	5,603	5,992
3. जोखिम भारित आस्ति में पूंजी का अनुपात (प्रतिशत)	54.3	53.9
4. नकदी सहायता सीमा	3,000 (सामान्य)	3,000 (सामान्य)

* : चालू देयताओं और प्रावधान का निवल।

सारणी V.45: प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2004-05	2005-06	प्रतिशत अंतर	
			2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क.आय (i से iii)	**574**	**2,153**	**-79.8**	**275.1**
i) ब्याज और बट्टा	821	1,151	-37.1	40.2
ii) कारोबारी लाभ	-700	-47	-161.9	93.3
iii) अन्य आय	453	1,049	11.0	131.6
ख.व्यय (i+ii)	**769**	**1,150**	**-21.3**	**49.7**
i) ब्याज	459	670	-29.9	46.0
ii) प्रशासनिक लागत	310	481	-3.7	55.2
ग. कर पूर्व लाभ	**-195**	**1,003**	**-110.4**	**614.4**
घ. करोत्तर लाभ	**-250**	**749**	**-120.3**	**399.6**

हानियों को इतना कम किया कि वे वर्ष 2005-06 के दौरान 47 करोड़ रुपए रह गईं (सारणी V.45)। आय में तेजी से वृद्धि के कारण, प्राथमिक डीलर व्यय में भारी वृद्धि के बावजूद भारी मात्रा में निवल लाभ अर्जित कर सके। वर्ष 2005-06 के दौरान निवल लाभ कमाने वाले प्राथमिक डीलरों की संख्या पिछले वर्ष के 10 से बढ़कर 14 हो गई (परिशिष्ट सारणी V.6)

5.95 प्राथमिक डीलरों के वित्तीय निष्पादन में सुधार औसत आस्ति (आर ओ ए) पर प्राप्त विवरणी में परिलक्षित होता है जो - 1.7 प्रतिशत से सुधर कर 5.2 प्रतिशत हो गया और वर्ष के दौरान निवल संपत्ति पर प्राप्त प्रतिफल में भी सुधार हुआ जो - 4.5 से सुधार कर 12.9 प्रतिशत हो गया (सारणी V.46 और परिशिष्ट सारणी V.6)।

सारणी V.46: प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपए)

संकेतक	2004-05	2005-06
1	2	3
1. निवल लाभ	-250	749
2. औसत आस्ति	15,133	14,534
3. औसत आस्ति प्रतिलाभ (प्रतिशत)	-1.7	5.2
4. निवल मालियत	5,666	6,106

नोट : औसत आस्ति माह के शेष का औसत है।